वर्ष 17 अंक 12 दिसम्बर 1995 मूल्य : दो रुपये

सीटू मजदूर

सी. आइ. टी. यू. का मासिक मुखपत्र

सी आइ टी यू वर्किंग कमेटी की बैठक

जन संघर्षों को नये आयाम देने का आह्वान

□ पी के गांगुली

दो से चार नवम्बर तक भिलाई में हुई सी आइ टी यू वर्किंग कमेटी की बैठक ने सभी जनसंगठनों का स्पष्ट आह्वान किया है कि वे नरसिम्हा राव सरकार की नयी आर्थिक नीतियों के खिलाफ जोरदार संघर्ष छेड़ें और आने वाले चुनावों में कांग्रेस (आइ) के नेतृत्व वाली प्रतिक्रियावादी ताकतों और भाजपा के नेतत्व वाले सांप्रदायिक ताकतों दोनों को ही मात देने के लिए और उभरती हुई वामपंथी, जनतांत्रिक तथा धर्मनिरपेक्ष ताकतों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए इन संघर्षों को नयी ऊंचाइयों तक पहुंचायें। नयी आर्थिक नीतियों के लागू होने के इन चार सालों में जो सुधार हुए हैं और इन सुधारों ने जो स्थिति पैदा की है, उसका विश्लेषण करते हुए महासचिव की रिपोर्ट में कहा गया था कि इस दिशा में सी आइ टी यू तथा अन्य ट्रेड यूनियनों को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है।

स्वागत समिति के अध्यक्ष कामरेड सुधीर मुखर्जी के अचानक निधन पर और मजदूर वर्ग के अन्य दिवंगत नेताओं जिनकी मृत्यु इस अवधि में हुई है, के निधन पर शोक प्रस्ताव स्वीकार किये जाने के साथ र्किंग कमेटी की मीटिंग शुरू हुई। स्वागत समिति के अध्यक्ष संबल चक्रवर्ती ने स्वागत किया।

अपने अध्यक्षीय भाषण में कामरेड ई बालानंदन ने विश्व में बढ़ ह पूंजीवादी संकट गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया। सभी विकसित पूंजीवादी देशों में बढ़ती बेरोजगारी, घटते सकल घरेलू उत्पादन और बढ़ते प ाजिक तनाव में यह संकट अभिव्यक्त हो रहा है। गैट समझौते और व व्यापार संगठन का गठन हो जाने के बावजूद नये बाजार हड़पने लिये उनके बीच व्यापार युद्ध तीव्र हो रहा है।

उनका कहना था कि पूंजीवादी नियोजन और शोषण का तंरीका वस्था में गहराते संकट के साथ और साम्राज्यवादी पूंजीवाद की जरूरतों अनुसार बदलता है। संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों के चलते और यी तकनीकी खोजों के कारण सार्वजनिक क्षेत्र को खत्म किया जा रहा संगठित क्षेत्र को किया जा रहा है और अनौपचारिक क्षेत्र तथा घरेलू काइयों पर उत्पादन का सारा भार डाला जा रहा है। इसका लाभ उन्हें यह मिलता है कि कम लागत पूंजी इसके लिए चाहिए होती है सस्ता श्रम मिल जाता है। किसी तरह का कोई श्रम कानून नहीं होता और न सामाजिक सुरक्षा का झंझट होता है और नहीं सुरक्षा उपायों का, यह न केवल अकेले मजदूर बल्कि उसके समूचे परिवार के शोषण का नया तरीका है और इजारेदार इससे भारी मुनाफा कमाते हैं। खुद अमरीका में 45 फीसद श्रम शक्ति अब इसी क्षेत्र में है।

वैश्वीकरण, निजीकरण तथा उदारीकरण के दर्शन और विश्व व्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीकरण करने के जरिये नयी साम्राज्यवादी विश्व व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य के साथ मिल कर यह विश्व पूंजीवादी व्यवस्था की विशेषता बनती जा रही है। अमरीका की अगुवाई में साम्राज्यवादी देश मजदूरवर्ग को इस तरह की विश्व व्यवस्था के जोड़ने और उसका निर्ममतापूर्वक शोषण करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खुद अपने देश में हम अस पक्ष का निरंतर बढ़ता देख रहे हैं।

उन्होंने कृषि, लघु उद्योग तथा आर्थिक गतिविधियों के अन्य क्षेत्रों में प. बंगाल की वाममोर्चा सरकार की उनलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राज्यों की सीमित शक्तियों के बावजूद यह उपलब्धियां हासिल की गयी हैं। उन्होंने कहा कि देश के दूसरे राज्यों के लिये पश्चिम बंगाल एक आदर्श राजय बन चुका है। उनका कहना था कि केंद्र सरकार की नीति के घेरे में वाममोर्चा सरकार नये माहौल में सामने आये सीमित अवसरों का इस्तेमाल औद्योगिक पुनर्निर्माण के लिए करने की कोशिश कर रही है। अपना भाषण समाप्त करते हुए उन्होंने मजदूर वर्ग का आह्वान किया कि अपने एकजुट संघर्षों को और तेज करे और कांग्रेस (आइ) को सत्ता से हटाने और भाजपा को मात देने के लिए और साथ ही साथ वामपंथी, जनतांत्रिक तथा धर्मनिरपेक्ष ताकतों की जीत सुनिश्चित करने के लिये आने वाले अवसर का इस्तेमाल करें।

कामरेड एम के पंधे ने महासचिव की रिपोर्ट पेश की। आर्थिक नीतियों का विश्लेषण करते हुए रिपोर्ट में कहा गया था कि इन नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को भी भारी संकट में फंसा दिया है। इसमें आर्थिक प्रगति में पिछड़ते जाने, बढ़ते कर्ज के बोझ तथा व्यापार घाटे विनिवेशीकरण के जरिये किए जा रहे सार्वजनिक क्षेत्र को निजीकरण, रुपये की गिरती कीमत, बढ़ती महंगाई तथा बेरोजगारी का जिक्र किया

गया था। रिपोर्ट में पेंशन योजना, महंगाई भत्ते के नये फार्मूले और बोनस कानून में संशोधन आदि के लिए लाये गए अध्यादेश की आलोचना की गयी थी और कहा गया था कि मजदूरों की मांगों को पूरा करने में यह अध्यादेश सक्षम नहीं है।

रिपोर्ट में इस्को, टेलीफोन, बैंक, बीमा, सीमेंट, कपड़ा, फार्मास्युटिकल, कोयला, बिजली आदि क्षेत्रों में और ठेका मजदूरों तथा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के सीटू द्वारा स्वतंत्र रूप से या दूसरी यूनियनों के साथ संयुक्त रूप से चलाये गये कुछ उल्लेखनीय संघर्षों का भी संक्षेप में जिक्र किया गया था। रिपोर्ट में कामगार महिलाओं के बीच सी आइ टी यू की गतिविधियों, सी आइ टी यू तथा आइ एल ओ की बाल श्रम परियोजना, सी आइ टी यू की पच्चीसवीं सालगिरह के समारोहों और हिंदी भाषी क्षेत्रों में सी आइ टी यू को और मजबूत करने के लिए किये जा रहे प्रयासों का भी जिक्र किया गया था। सी आइ टी यू के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों का भी रिपोर्ट में संक्षेप में जिक्र किया गया था। सी आइ टी यू द्वारा स्वीकार की गयी संगठन संबंधी रिपोर्ट को किस हद तक लागू किया जा सकता है, इसकी भी रिपोर्ट में समीक्षा की गयी थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि बी टी आर स्मारक के लिये जमीन पर कब्जा ले लिया गया है। मजदूरों द्वारा अपने एक दिन के वेतन को बी टी आर ट्रस्ट के लिये चंदे के रूप में देने का फिर से आह्वान किया गया। इस साल के अंत तक सी आइ टी यू की सदस्यता 30 लाख तक पहुंच जाने को भी रिपोर्ट में रेखांकित किया गया था।

रिपोर्ट में ट्रेड यूनियनों की एकता और ट्रेड यूनियनों की एकता तथा संयुक्त संघर्षों का और सुदृढ़ करने के लिसे कनफेडरेशन का गठन करने के अभियान से संबंधित घटना विकास की भी व्यापक चर्चा की गयी थी।

कामरेड पंधे ने 15 दिसंबर को देश में जनप्रदर्शनों के कार्यक्रम को सफल बनाने के आह्वान साथ रिपोर्ट की प्रस्तुति खत्म की। 15 दिसंबर के इस कार्यक्रम का आह्वान जनसंगठनों के राष्ट्रीय मंच ने किया है।

रिपोर्ट पर हुई बहस में 23 सदस्यों ने भाग लिया। उन्होंने नयी आर्थिक नीतियों के प्रभावों के खिलाफ अपने-अपने राज्यों के विभिन्न उद्योगों में चलाये गए संघर्षों के बारे में संक्षेप में बताया। सदस्यों ने निजीकरण, कारखानाबंदी, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के जरिये श्रम शक्ति को घटाने, महंगाई और बेरोजगारी आदि के खिलाफ चलाये गए संघर्षों के बारे में बताया। उन्होंने उन संघर्षों के बारे में भी बताया जो विभिन्न राज्यों में भाजपा की सांप्रदायिक गतिविधियों के खिलाफ चलाये गए हैं। सदस्यों ने आर्थिक मांगों को लेकर हड़ताल जैसी कार्रवाइयों के बारे में भी बताया। सदस्यों ने यह भी बताया कि कैसे सभी राज्यों में सी आइ टी यू की 25वीं सालगिरह के समारोहों का आयोजन किया गया। अनेक सदस्यों ने महासचिव की रिपोर्ट को और समृद्ध बनाने के लिए अनेक बहुमूल्य सुझाव भी दिये। उन्होंने ट्रेड यूनियन एकता संबंधी अपने अनुभवों के बारे में बताया और आगामी भविष्य में उनको कनफेडरेशन की शक्ल देने में अपने विश्वास का इजहार किया। उन्होंने आने वाले चुनावों में कांग्रेस (आइ) तथा भाजपा को मात देने के लिये दूसरे जनसंगठनों के साथ मिलकर संयुक्त संघर्षों को और तेज करने की तत्परता भी दिखायी।

महासचिव की रिपोर्ट के अलावा पेंशन योजना तथा इससे संबंधित अध्यादेश पर अलग से भी चर्चा हुई। अवकाश प्राप्ति के तीसरे लाभ के रूप में पेंशन से संबंधित सी आइ टी यू के रुख को दोहराते हुए एक अलग प्रस्ताव भी पारित किया गया और इस योजना को और बेहतर बनाने के लिये अनेक सुझाव भी दिये।

कामरेड एम के पंधे द्वारा बहस का जवाब दिये जाने के बाद संशोधनों के साथ रिपोर्ट सर्वसम्मति से स्वीकृत हुई।

प्रस्ताव

सम्मेलन ने सबसे पहले जनसंगठनों के राष्ट्रीय मंच के 15 दिसंबर को देश भर में जनप्रदर्शनों का आयोजन करने के आह्वान को अपना समर्थन देते हुए प्रस्ताव पारित किया। इसके अलावा बेलाडिला खदान सौदे, क्यूबा के साथ एकजुटता, बोनस कानून में संशोधन, कपड़ा मजदूरों की संयुक्त समिति के 12 दिसंबर को दिल्ली में जेल भरो आंदोलन चलाने के आह्वान को समर्थन देते हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन पुनर्निर्धारण तथा पांचवें वेतन आयोग महिलाओं के बीजिंग सम्मेलन, भिलाई इस्पात संयंत्र में हुई दुर्घटना, बैंक कर्मचारियों की हड़ताल, जूट उद्योग में अनिश्चितकालीन हड़ताल, बीमा कर्मचारियों के संघर्षों के साथ एकजुटता, पंजाब के शाहपुर कण्डी बैराज वर्क्स के निजीकरण, अमरीका-पाकिस्तान हथियार सौदे और मछुआरों के संघर्ष आदि पर प्रस्ताव पारित किए।

सांस्कृतिक कार्यक्रम

मध्य प्रदेश राज्य कमेटी ने तीनों दिन रात को प्रगतिशील सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया था। परदेशी राम वर्मा तथा मुमताज की अगुवाई वाले जाने-माने ग्रुपों की मदद से तथा उनके दिशा निर्देशन में इन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। जिन टीमों ने यह कार्यक्रम प्रस्तुत किए उनमें शामिल हैं रायपुर की जन नाट्य मंच इकाई, डी एम सी टीम, देवदास बनर्जी की टीम, ऊषा बाउले अशोक की टीम आदि।

विशाल रैली

चार नवंबर की शाम को एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। भिलाई और आसपास के करीब 5000 लोगों ने रैली में भाग लिया। मजदूरों ने इस्पात नगरी की सड़कों पर मार्च किया। रैली को अन्य लोगों के अलावा ई बालानंदन, एम के पंधे, समर मुखर्जी, शैलेंद्र शैली तथा संबल चक्रवर्ती ने संबोधित किया।

□

संपादक मंडल

एम. के. पंधे [चेयरमैन]

पी. के. गांगुली [कार्यकारी संपादक]

नीरेन घोष, एम. एम. लारेन्स,

विमल रणदिवे, रंजीत बसु

अध्यक्षीय भाषण

□ ई० बालानन्दन

साथियो,

हावड़ा में 31 मई से 2 जून 1995 तक चली जनरल कौंसिल की बैठक के पांच मास पश्चात् हम आज यहां वर्किंग कमेटी की बैठक में भाग लेने के लिये एकत्र हुए हैं। इस अवधि में अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं देश में घटी हैं जिनका विवरण महासचिव ने अपनी रिपोर्ट में दिया है। अत: मैं यहां केवल कुछ विशेष मुद्दों की ओर ही आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

इससे पूर्व कि मैं अपनी बात का समारम्भ करूं, आईये हम मध्य प्रदेश में श्रमिक आंदोलन के महत्वपूर्ण नेताओं में से एक कामरेड सुधीर मुखर्जी को आदरभाव के साथ श्रद्धांजलि भेंट करें। वह वर्किंग कमेटी बैठक के लिये अतिथेय के कर्त्तव्यों का पालन करने हेतु गठित स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। वर्किंग कमेटी बैठक के सफल आयोजन के लिए चलाए जा रहे अभियान के मध्य ही वह अचानक बीमार हो गए और उन्हें अस्पताल में दाखिल होना पड़ा। उस समय अर्थात् 4 जुलाई को वह स्वागत समिति की बैठक में भाग लेने के लिये जा रहे थे। डाक्टरों द्वारा भरसक प्रयास किये जाने पर भी उन्हें बचाया नहीं जा सका है और 26 सितम्बर 1995 को उनका देहावसान हो गया। कामरेड सुधीर मुखर्जी के निधन से हुई क्षति को कोई भी पूरा नहीं कर सकता। तथापि हम उनके द्वारा छोड़े गए अधूरे कार्यों को पूरा करने का प्रण करते हैं। एक बार पुन: मैं कामरेड सुधीर मुखर्जी की पावन स्मृति में उन्हें अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

हमने 21 अगस्त, 1995 को भारत कोकिंग कोल कार्पोरेशन (बी सी सी एल) के अन्तर्गत चलने वाली दुग्धा कोल वाशरी में छह कोयला श्रमिकों की नृशंस हत्या पर अपना तीव्र रोष एवं आक्रोश व्यक्त किया था। उस दिन श्रमिक अपनी एक दिवसीय हड़ताल समय धरना दे रहे थे। तभी एक ठेकेदार का ट्रक उन पर चढ़ा दिया गया जिसके कारण छह श्रमिकों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई जबकि दस अन्य श्रमिक गम्भीर रूप से घायल हो गए। कम्पनी को इन हत्याओं के विरुद्ध समुचित कदम उठाने चाहियें और अपराधियों को अविलम्भ दण्ड दिया जाए, इस ओर उसे अत्यंत सजगतापूर्ण ढंग से कार्रवाई करनी होगी। हम दुग्धा में मारे गए अपने छह साथियों को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

एक और आपदा गजलीटांड कोयला खदानों में घटित हुई। वहां कोयला खान के भीतर कार्यरत 77 श्रमिक पानी में डूब कर मारे गए थे। कोल इंडिया द्वारा समुचित सुरक्षा प्रबंध करने में दिखाई गई लापरवाही के चलते ही यह मानवीय क्षति हुई है। वरिष्ठ प्रबंधकों ने कई सप्ताहों से कोयला क्षेत्र का दौरा किया ही नहीं था। इसीलिए उन्होंने मूसलाधार वर्षा से बचाव के लिए सुरक्षात्मक सावधानियों से काम नहीं लिया था और न ही इसके लिये आवश्यक कदम उठाए थे। हम मांग करते हैं कि इस विनाशलीला की जांच कराई जाए और अपराधी पाए जाने वाले लोगों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाए। हम इस दुर्घटना में मारे गए श्रमिकों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनके दुखी परिवारों को अपने संवेदना संदेश भेजते हैं।

साथियों, पिछली बार हमने हावड़ा में आयोजित अपनी जनरल कौंसिल बैठक में विश्वव्यापी आर्थिक स्थिति (या घटनाओं) की सामान्य समीक्षा की थी। यद्यपि कुछ देशों में मामूली परिवर्तन हुए हैं तथापि अर्थव्यवस्था के संकट तथा उसके विकास की मंथर गति अभी तक बनी हुई है। बढ़ती बेरोजगारी की समस्या विकसित विश्व के प्रत्येक देश का पीछा कर रही है। मैं यहां इस पर सविस्तार चर्चा नहीं करूंगा और स्वयं को कुछ विशेष मुद्दों पर ही केन्द्रित रखूंगा।

क्यूबा

जनरल बाडी की पिछली बैठक में हमने क्यूबा के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक विचार किया था। हमने क्यूबाई एकजुटता कोष के लिये अंशदान देने के लिये समाधान किया था। मैं सामयिक कार्रवाई करने तथा मुक्त हृदय से अपना अंशदान देने के लिये हार्दिक बधाई देता हूं।

विश्व जनमत के प्रति पूर्ण असम्मान एवं संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा निरंतर पारित किये गए तीन प्रस्तावों की अवहेलना करते हुए अमरीका ने न केवल क्यूबा के विरुद्ध जारी तेत्तीस वर्ष पुरानी आर्थिक नाकाबंदी को समाप्त करने से इन्कार किया है अपितु इसके विपरीत उसने अत्यंत प्रतिगामी हेलम्स-बर्टन विधेयक को पारित कर डाला है। इस विधेयक के फलस्वरूप न केवल आर्थिक नाकाबंदी का सिंकजा और कसा गया है अपितु यह क्यूबा की सम्प्रभुता तथा क्यूबा के साथ मुक्त व्यापार चाहने वाले अन्य देशों के अधिकारों पर प्रत्यक्ष आक्रमण भी है। यह विधेयक आर्थिक नाकाबंदी समाप्त करने के लिए पूर्व शर्त लागू करता है कि क्यूबा उन निजी उद्यमों जिनका क्यूबाई क्रांति के पश्चात् अधिग्रहण कर लिया गया था, को 15 करोड़ डालर की क्षतिपूर्ति दे।

क्यूबा को समाजवाद छोड़ कर अमरीकी संकेतों पर पूंजीवादी मार्ग पर चलने पर विवश करने के लिए ही वह इस प्रकार की निर्लज्जतापूर्ण कार्रवाईयां करके क्यूबा का भयादोहन (ब्लैक मेलिंग) कर रहा है। कामरेड फिदल कास्त्रो के नेतृत्व में तथा "समाजवाद एवं मौत" के नारे से प्रेरणा ले कर क्यूबा की वीर जनता ने अमरीका के इन ओछे हथकण्डों का प्रतिकार किया है और वह (क्यूबाई जनता) पूर्वत: अपनी स्वतंत्रता

एवं समाजवाद की रक्षा करने के लिये अथक एवं भीषण संघर्ष को जारी रख रही है।

इसी पृष्ठभूमि में, क्यूबा के साथ एकजुटता व्यक्त करने हेतु इसी वर्ष 22 से 24 सितम्बर तक कलकत्ता में आयोजित एशिया प्रशांत सम्मेलन भारी महत्व रखता है। सी आइ टी यू की ओर से कामरेड एम के पंधे तथा कामरेड चित्तब्रत मजूमदार ने उस सम्मेलन में भाग लिया था। सम्मेलन ने यह संदेश दिया कि अपने इस संघर्ष में क्यूबाई जनता अकेली नहीं है। उसे विश्व समुदाय तथा विश्व की सभी जनवादी शक्तियों का समर्थन प्राप्त है। सम्मेलन ने हमारे लिये कुछ कार्य निर्धारित किये थे। उनके संघर्ष को अमरीकी साम्राज्यवादियों के नेतृत्व वाली प्रतिगामी शक्तियों के विरुद्ध विश्व की सभी जनवादी एवं शांतिकामी शक्तियों के संघर्ष के रूप में देखा जाना चाहिये। इसलिए क्यूबाई जनता के संघर्ष का सक्रिय समर्थन करना और उन्हें हर प्रकार भौतिक सहायता प्रदान करना सी आइ टी यू का आबद्ध कर्त्तव्य बन जाता है। क्यूबाई एकजुटता सम्मेलन ने 27 नवंबर को क्यूबाई एकजुटता दिवस मनाने, अमरीका द्वारा लागू की गई आर्थिक नाकाबंदी की समाप्ति के लिए जोरदार मांग करने का आह्वान किया है। मैं सभी राज्य समितियों, यूनियनों तथा फेडरेशनों से अनुरोध करता हूं कि वे समुचित ढंग से यह दिवस मनाएं।

बढ़ रहा पूंजीवादी संकट

विश्व बाजारों को हस्तगत करने की अंध दौड़ तथा अपना अधिनायकत्व (सरदारी) थोपने के अभियान के चलते स्वयं विकसित पूंजीवादी देशों में गम्भीर मतभेद उत्पन्न हो रहे है जिसका प्रमाण जी-7 देशों के मध्य जारी व्यापार युद्ध से मिल जाता है।

जापान के साथ अमरीका का व्यापार घाटा बढ़ कर 6.30 करोड़ डालर तक पहुंच गया है। यह घाटा प्रधान तथा कार व्यापार के क्षेत्र में हुआ है। अमरीका चाहता है कि जापान उसकी कारें खरीदे। इसके लिये तो उसने उसे (जापान को) अमरीकी कानून सुपर-301 लागू करने की धमकी तक दे डाली है। इस प्रकार जापान तथा अमरीकी के मध्य संकटपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है। और इस स्थिति में अन्य युरोपीय शक्तियां अमरीका को अपना समर्थन नहीं दे रही हैं। अन्तत: अधिकतम दबाव डाले जाने पर भी अमरीका एक अस्थायी प्रकार का समझौता ही कर सका है। अभी भी अमरीका तथा जापान के मध्य सम्बन्ध तनाव मुक्त नहीं हुए।

यह सब गैट समझौते तथा सात वर्ष लम्बे संघर्षके पश्चात् डब्ल्यू टी ओ का गठन होने पर भी हो रहा है। अमरीका भूमण्डलीय अधिनायकत्व (सरदारी) स्थापित करने के अपने उन्मत्त अभियान के कारण सभी विवादों का केन्द्रीय बिंदु बनता चला जा रहा है। वह अन्य देशों पर मनमाने ढंग से अपने कानून लाद रहा है तथा उन्हें निदेश देने लगा है। उसके साथ-साथ सैन्य शक्ति बढ़ाने के प्रयासों ने शस्त्रों की निर्बाध दौड़ तथा क्षेत्रीय युद्धों का स्वरूप ग्रहण कर लिया है।

ओ इ सी डी के अन्तर्गत विकसित पूंजीवादी देशों का संकट जिसका हमने अपनी पिछली बैठक में विश्लेषण किया था, और अधिक बढ़ गया है। इस समूह (विकसित पूंजीवादी देश) के प्रत्येक देश में बेरोजगारी अधिक और सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) कम है। इसकी अधिक ज्वलंत उद्धरणें युरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों तथा अमरीका में देखी जा सकती हैं।

विश्व बैंक ने स्वयं 1995 की अपनी विश्व विकास रिपोर्ट में रोजगार, श्रमिकों के वेतन तथा नये रोजगारों के सर्जन की दृष्टि से नई से नयी प्रौद्योगिकी के विकसित होने पर भी संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों के नकारात्मक प्रभावों को स्वीकार किया है।

इन देशों में बेरोजगारी जिसका आंकलन उनकी पूंजीवादी सरकारों ने किया है, से इनमें व्याप्त वास्तविक स्थिति उजागर हो गई है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की विश्व श्रम रिपोर्ट 1995 के अनुसार इन देशों की श्रम शक्ति में आंशिक रूप से काम पर लगे या अंशकालिक श्रमिकों का प्रबल बहुमत है। उनके बेरोजगारी के आंकड़ों में अर्ध-रोजगार प्राप्त लोगों या उन लोगों जिनकी मेधा या कार्यक्षमता का बहुत कम उपयोग होता है, की गणना नहीं की गई है। जापान के मामले में 'लंडन इकानोमिस्ट' के दिनांक 14 अक्टूबर के अंक में प्रकाशित एक लेख में अधोलिखित उद्धरण दिया गया है। यह लेख 'स्ट्रीपटीज इन जापान' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित हुआ है। उसमें इस तथ्य को प्रमाणित किया गया है: "बेरोजगारी की सरकारी 3.2 प्रतिशत दर पिछले 50 वर्षों में अब तक की सर्वाधिक दर है तथापि अमरीका में 5.6 दर की तुलना में यह अभी भी कम है। यह भी एक कोरा झूठ है। सरकारी सर्वेक्षण से पता चला है कि इसमें उन लोगों की गणना की ही नहीं गई, जो बेरोजगार हैं किन्तु उनके नाम रोजगार कार्यालयों में दर्ज नहीं किये गए। इस प्रकार जापान में बेरोजगारी की दर फरवरी 1994 को 8.9 प्रतिशत थी जो अमरीका में 8.8 प्रतिशत दर (इस ढंग से गणना करने पर) से भी अधिक थी। पिछले 18 मास से स्थितियां और विषम हो चुकी हैं और अब प्रत्येक 10 जापानियों में से एक जापानी बेरोजगार है।"

"जापान को स्वीकार करना होगा कि बड़ी फर्मों में जीवन पर्यंत रोजगार प्रदान करने की उसकी परम्परा रोजगारहीनता की स्थिति को कम करने में विफल रही है। अधेड़ आयु के व्यक्ति तथा पुरुष प्रबंधक ही काम पर बने हुए हैं। वह भी इसलिए क्योंकि युवा, वृद्ध तथा कामकाजी महिलाएं सारे संकट झेल रही हैं। यह स्थिति अन्यायोचित ही नहीं अपितु मानव संसाधनों की बरबादी भी है।"

इस बेरोजगारी के साथ-साथ मुद्रा स्फीति की भारी दर, ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हमलों तथा बढ़ती कामबंदी ने सभी ओ इ सी डी देशों में व्याप्त सामाजिक तनावों में अभूतपूर्व वृद्धि कर दी है।

यद्यपि जी-7 देशों के बेरोजगारी के प्रश्न पर दो शिखर सम्मेलन हो चुके हैं तथा उसका कोई प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं हुआ है। इसी समस्या पर अगले वर्ष पुन: शिखर सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव है। अमरीका के आर्थिक नीति संस्थान द्वारा सितम्बर के आरम्भ में जारी की गई रिपोर्ट में श्रमिकों के सिकुड़ते चले जा रहे वेतनों (या पारिश्रमिक) की संवृति की ओर ध्यान दिलाया है और उसने अपने अध्ययन में इसे आर्थिकता के लिये प्रधान खतरा करार दिया है। यह देखा गया कि कम्पनियों का लाभ बढ़ता चला जा रहा है जबकि श्रमिकों के वेतनों में

गिरावट आ रही है। जहां कम्पनियों के लाभ में 25 प्रतिशत के अनुपात से वृद्धि हुई है वहीं अमरीकी श्रमिक को कम वेतन पर अधिक से अधिक काम करने पर विवश होना पड़ता है। वर्तमान में मैले कपड़ों वाले (ब्लू कालर वर्करस) श्रमिकों तथा श्वेत कालर (बाबु इत्यादि) श्रमिकों के वेतन मुद्रास्फीति की दर से नीचे पहुंच गए हैं। पुरुष श्रमिक की मध्यवर्ती आय 11.98 डालर प्रति घण्टे से कम होकर 11.24 डालर हो गई है। इस प्रकार उसमें 1989-95 के मध्य 6 की कमी हुई है। ऐसे पुरुष श्रमिक जिन्होंने हाई स्कूल डिप्लोमा नहीं लिया के वेतन कम होकर 8.74 डालर प्रति घण्टा रह गए हैं। जहां सामान्य रूप से वेतन कम हो रहे हैं वहीं अश्वेत श्रमिक के वेतनों में तो और भी अधिक गिरावट आई है। द इकानोमिक एण्ड पोलिटीकल वीकली ने अपने 23 सितम्बर के अंक में प्रकाशित एक रिपोर्ट में अमरीकी श्रमिक के वेतन तथा आय की कमी के सम्बन्ध में अधोलिखित विवरण दिया है?

"इस तथ्य का उल्लेख बार-बार विशेष रूप से किया जा चुका है कि कैसे एक ठेठ अमरीकी परिवार को अधिक काम करना पड़ता है और उसके बदले में उसकी आय कम होती है। यहां तक कि कम्पनियों के बढ़ रहे लाभ शेयर बाजार में अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, निगम रोजगारों का विध्वंस कर रहे हैं, कर्मचारियों के सेवा लाभों में कमी ला रही हैं और श्रमिकों की वास्तविक आय में गिरावट ला रहे हैं। अनुमानों से पता चलता है कि मुद्रा स्फीति से समायोजित वेतनों में 1983 से 1993 के मध्य 10-5 प्रतिशत की कमी हुई है। अस्थायी श्रमिक की प्रति घण्टा आय में पांचवे भाग का क्षरण हो गया है। भारी संख्या में महिलाओं के रोजगार छीने जा रहे हैं। पुरुषों को भी नये-नये रोजगारों के लिये भटकना पड़ता है। इस पर भी उन्हें उनकी आय में होने वाली सामान्य कमी के लिये क्षतिपूर्ति नहीं दी जाती। वर्ष 1989 तथा 1993 के मध्य औसत दर्जे के परिवार की आय 1,300 डालर तक कम हो गई है। मध्य दर्जे की आय अर्जन करने वाले श्रमिक को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है जबकि समृद्धतम एक प्रतिशत अमरीकी परिवारों की आय 1980 के दशक में 63 प्रतिशत तक बढ़ गई थी। जहां कार्पोरेट प्रमुख अपने यहां रोजगारों और वेतनों में कमी ला रहे हैं वहीं उनके अपने आनुपातिक वेतनों में प्रति वर्ष जबरदस्त उछाला आ रहा है। वे जहां 1979 में 1,54,000 डालर प्रति वर्ष थे वहीं 1989 तक बढ़ते-बढ़ते 4,29,000 डालर तक पहुंच गए।"

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में देखा जा सकता है कि जहां अमरीका में पूंजीपतियों के लाभ बढ़ते ही चले जा रहे हैं वहीं श्रमिकों के रोजगारों को निगला जा रहा है और गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में उतरोत्तर वृद्धि होती चली जा रही है। अश्वेत परिवारों पर सर्वाधिक दुष्प्रभाव पड़ रहा है।

"वाशिंगटन राज्य श्रम परिषद" द्वारा दिये गए अधोलिखित विवरणों से वास्तविक स्थिति और स्पष्ट हो जाती है।

"मार्च 1994 और मार्च 1995 के मध्य वास्तविक वेतनों में 2.3 प्रतिशत तक कमी आई वहीं उत्पादकता में 1994 में 2.3 प्रतिशत, 1993 में 1.5 प्रतिशत तथा 1992 में 3 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई।

सामान्य अमरीकी परिवार अब प्रतिवर्ष और अधिक घण्टों तक काम करता है। उसे 1960 के दशक की तुलना में लगभग 160 घण्टे अधिक काम करना पड़ता है जो उसके एक और पूरे मास के पूरे समय के काम के समान है।

वर्ष 1969 के पश्चात् अमरीकी श्रमिकों के अवकाश के दिनों, बीमारी के अवकाश, सवैतनिक अवकाश में 15 प्रतिशत तक कमी आई है।

और अधिक विवरण में गए बिना देखा जा सकता है कि बेरोजगारी, अर्ध रोजगारी, गरीबी में वृद्धि इत्यादि सभी व्याधियों को जिन्हें अब तक विकासशील देशों को अधिकतर प्रभावित करने वाली एक सामान्य संवृति माना जाता था अब विकसित देशों के मामले में स्थायी लक्षण बनती चली जा रही हैं। इसके दुष्परिणाम स्वरूप सामाजिक तनाव बढ़ रहे हैं। इन तनावों का प्रस्फुटन भारी हड़तालों, तथा श्रमिक जनता के विभिन्न वर्गों के विशाल संघर्षों के रूप में हुआ है। इन संघर्षों ने इस अवधि में जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, अमरीका, कैनेडा इत्यादि देशों को अपनी चपेट में ले लिया है।

साथियों, मैं आपका ध्यान 10 लाख अश्वेत लोगो द्वारा 16-10-95 को वाशिंगटन में किये गए विशाल प्रदर्शन की ओर दिलाना चाहता हूं। प्रदर्शन का नेतृत्व श्री लुइस फराखान जो मुसलिम अश्वेत उग्रवादी माने जाते हैं, द्वारा किया गया। किन्तु अश्वेत जनता द्वारा किये गए ऐसे प्रदर्शन का कारण अमरीकी समाज की वर्तमान व्यथा को दर्शाता है। वर्तमान में अमरीका की कुल 26 करोड़ की जनसंख्या का 13 प्रतिशत भाग अश्वेत लोगों का है। उनकी संख्या 3.21 करोड़ है। इन लोगों को शताब्दियों पूर्व अमरीका के विकास हेतु लाया गया था। उन्होंने अमरीका के विकास में भारी योगदान दिया है। यह एक ऐसा तथ्य है जिसे विश्व में प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार करता है। वर्तमान में भी अश्वेत जनता शहर के आंतरिक भागों में स्थित पृथक बस्तियों में रहते हैं। उन्हें समुचित शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार तथा समान वेतन इत्यादि उपलब्ध नहीं कराए जाते। अंग्रेजी दैनिक टाइम्स आफ इंडिया ने अपने 18-10-95 के अंक में अन्य बातों के अतिरिक्त अधोलिखित तथ्यों पर भी प्रकाश डाला है:

"20-30 वर्ष के प्रति तीन अश्वेत नागरिकों में से एक नागरिक या जेल में है या प्रतिबंधित एवं परख-अवधि में से गुजर रहा है। अश्वेत जनता में बेरोजगारी तथा गरीबी की दरें श्वेत जनता की अपेक्षा दो या तीन गुणा अधिक हैं। नियमित रूप से नशीली दवाओं का सेवन करने वाले लोगों में अश्वेतों की संख्या 13 प्रतिशत है किन्तु इसके अपराध में पकड़े जाने वाले लोगों में अश्वेतों की संख्या 35 प्रतिशत तथा कारावास का दण्ड पाने वालों की संख्या 74 प्रतिशत है। इससे पता चलता है कि लाखों अश्वेत लोगों का समर्थन उग्रवादी नेता श्री लुइस फराखान को क्यों मिल रहा है और किस बात ने उन्हें उस विशाल प्रदर्शन में भाग लेने के लिये प्रेरित किया।"

अमरीकी समाज जिसे पूंजीवाद का आदर्श माना जाता है वहां अश्वेत जनता के साथ न्यूनतम मानवीय व्यवहार भी नहीं किया जाता। प्रत्येक क्षेत्र में उनके साथ भारी पक्षपात किया जाता है। प्रत्येक क्षेत्र में श्वेत लोगों का अधिनायकत्व स्थापित हुआ है। यहां तक कि कानून तथा

न्याय के मामलों में भी उनके साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता।

अनौपचारिक क्षेत्र

साथियो, मैं आपका ध्यान अनौपचारिक क्षेत्र में बदलते परिदृश्य की ओर दिलाना चाहता हूं। पूंजीवादी शोषण के विरुद्ध संघर्ष के इन सभी वर्षों में हम उद्योगों के संगठित क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र पर बल देते रहे हैं और हमने इन क्षेत्रों के श्रमिकों के असंख्य संघर्षों का नेतृत्व किया है। तथापि पूंजीवादी व्यवस्था के गहराते संकट के साथ -साथ साम्राज्यवादी बुर्जुआजी की आवश्यकताओं के अनुसार शोषणकारी विधि तथा पूंजीवादी योजनाबंदी में बदलाव आ रहा है। पूंजीवादी विकास की नीतियां अधिकतर बड़े आधुनिक उद्योगों की ओर उन्मुख हैं। अत: अनौपचारिक क्षेत्र को बुरी तरह दृष्टिलोप किया गया है। किन्तु अनौपचारिक क्षेत्र जो अतीत में लघु क्षेत्र था और अपने अविभावक दृष्ट पुष्ट संगठित क्षेत्र के सहारे अपने अस्तित्व को बनाए रखता था, वर्तमान में अपने अविभावक के लिये ही खतरा उत्पन्न कर रहा है। संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों के चलते जिनके अन्तर्गत नयी प्रौद्योगिकी लाई जा रही है संगठित तथा सार्वजनिक क्षेत्र को सिकोड़ा जा रहा है। उनके अधिकांश उत्पादों अर्थात् काम के बोझ को उनके कंधों से उतार कर अनौपचारिक क्षेत्र, गृह आधारित औद्योगिक इकाईयों, इन कामों से जुड़े निर्माता परिवारों के कंधों पर डाला जा रहा है। गृह आधारित औद्योगिक इकाईयां अधिकतर महिलाओं तथा बच्चों पर आधारित होती हैं। आपको यह जान कर आश्चर्य होगा कि अमरीका की 45 प्रतिशत श्रम शक्ति इसी क्षेत्र में कार्यरत है। इस रुझान का अब अधिक से अधिक विकासशील देशों में लाया जा रहा है। इसका लाभ है न्यून कामकाजी पूंजी, सस्ती मजदूरी तथा सभी श्रम कानूनों, सामाजिक सुरक्षा एवं सुरक्षा उपायों से छुटकारा।

यह एक नयी शोषणकारी विधि है। इसके विधि के अन्तर्गत न केवल एक श्रमिक का अपितु उसके सम्पूर्ण परिवार का शोषण करके इजारेदार औद्योगिक समूहों द्वारा भारी लाभ अर्जित किया जाता है। इसके दृष्टिगत श्रमिक वर्ग के गठन की प्रकृति में भी परिवर्तन आ रहा है। जहां उच्च प्रौद्योगिकीय क्षमताओं वाला सिकोड़े गए संगठित क्षेत्र में मुट्ठी भर श्वेत कालर श्रमिक या तकनीकी विशेषज्ञ शेष रह जाते हैं क्योंकि वहां से श्रमिकों की विशाल संख्या छटनी का शिकार हो चुकी होती है वहीं अनौपचारिक क्षेत्र में ब्लू कालर (गंदे कपड़ों वाले) श्रमिक अर्थात् सर्वहारा की भीड़ अनौपचारिक क्षेत्र में बढ़ रही है। वहां उसे दरिद्रता की सीमा तक वेतन दिये जाते हैं, उसे श्रम कानूनों तथा सामाजिक सुरक्षा के उपायों से वंचित रखा जाता है। पूंजीवादी व्यवस्था अब अधिकाधिक उत्पादन की इस नयी पद्धति पर निर्भर करने लगी है। यदि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को श्रम शक्ति की संख्या, उनके रोजगार, वेतन इत्यादि के सम्बन्ध में आंकड़े एकत्रित करने में कठिनाई होती है तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं।

साथियो, आप देखेंगे कि उदारीकरण, निजीकरण तथा भूमण्डलीयकरण का दर्शन जिसका लक्ष्य विश्व अर्थव्यवस्था का बहुराष्ट्रीयकरण करके एक नयी साम्राज्यवादी व्यवस्था की स्थापना करना है, ने श्रमिक वर्ग पर अपना दुष्प्रभाव डाला है। यह तेजी के साथ विश्व पूंजीवादी व्यवस्था का एक लक्षण बनता चला जा रहा है, यह व्यवस्था पहले ऐसी भूमण्डलीय व्यवस्था में श्रमिकों को एकत्र करती है और फिर उसका निर्मम शोषण करती है। आपको इस पक्ष पर गम्भीरता पूर्वक विचार करना होगा और इसका प्रतिकार करने के लिये नयी समर नीतियां बनानी होगी क्योंकि हमें अपने देश में इस नयी संगठित क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ताओं को ऐसे संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों के विरुद्ध चल रहे संघर्षों के विरुद्ध अग्रणी भूमिका निभानी होगी, हमें असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को संगठित करने तथा उन्हें सांझे संघर्षों में खींच लाने के लिये अधिक सुनियोजित ढंग से काम करना होगा। इससे देश में श्रमिक आंदोलन को एक नया मोड़ मिलेगा।

आपातकालीन सामाजिक कोष

मैं आपका ध्यान जी-7 देशों द्वारा मैक्सीको जैसे संकट को टालने हेतु किये जा रहे तथाकथित एहतियाती उपायों की ओर दिलाना चाहता हूं। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के तत्वाधान में 50 अरब डालर का "विशेष आपातकालीन कोष" स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह दर्शाता है कि उन्हें मैक्सिको जैसे संकट की पुनरावृत्ति न होने का विश्वास ही नहीं है। इसके विपरीत वे समझते हैं कि संकट और अनेक रूपों में उपस्थित हो सकता है। यद्यपि उन्होंने तथाकथित कोष स्थापित करने तथा उसकी कार्य प्रणाली बनाने का निर्णय लिया है तथापि उन्होंने अभी तक इसकी योजना को अंतिम रूप नहीं दिया और न ही प्रत्येक भागीदार देश के अंशदान के सम्बन्ध में ही वे कोई निर्णय ले सके हैं।

उपरोक्त वृतांत से स्पष्ट हो जाता है कि सबसे बड़ी पूंजीवादी शक्ति अमरीका द्वारा दावा किया जा रहा है कि वे "एक नयी विश्व व्यवस्था" के नाम पर पूंजीवाद के अन्तर्गत एक स्थायी व्यवस्था बनाने में सक्षम होंगे। उसका दावा है कि समाजवाद मर चुका है और उसकी कोई वैधता अब शेष नहीं रही। किन्तु जीवन का अनुभव नि:संदेह दर्शाता है कि संकट मुक्त पूंजीवाद का उनका स्वप्न बस स्वप्न ही रहेगा और विश्व भर में पूंजीवाद गम्भीर संकट की स्थिति को झेल रहा है। यह संकट केवल व्यवस्था के परिवर्तन से ही दूर हो सकेगा।

फ्रांस का नाभिकीय परीक्षण

इसका उल्लेख यहां किया गया है कि अमरीका द्वारा परमाणु अप्रसार संधि की लम्बी-चौड़ी बातें किये जाने पर भी फ्रांस ने नाभिकीय परीक्षण करने का निर्णय ले लिया जिसका जापान तथा कैनेडा द्वारा तीव्र प्रतिकार किया गया। इस पर भी फ्रांस ने तीन नाभिकीय परीक्षण किये। विश्व के अनेक क्षेत्रों विशेष रूप से आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड की ओर से उसका मुखर विरोध किया गया जिसके चलते पश्चिमी भागीदारों के मध्य तनाव एवं परस्पर संदेहों से परिपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है। इससे पता चलता है कि परस्पर विचार विमर्श तथा गठबंधन करने पर भी ये साम्राज्यवादी देश या शक्तियां अपनी-अपनी डगर पर चलती रहेंगी।

मैं यहां विश्व के अनेक भागों में अमरीका की सैन्य उपस्थिति की चर्चा नहीं करूंगा। वह गम्भीर आर्थिक कठिनाईयां झेल रहा है, इस पर भी वह संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों के नाम पर इराक का दमन करने, जनवादी

लोक गणराज्य कोरिया को निरंतर धमकाते रहने तथा अपने भारी सैन्य खर्चों को जारी रखने से बाज नहीं आ रहा। इससे पता चलता है कि सैनिक धमकियां देकर अपना भूमण्डलीय अधिनायकत्व स्थापित करने के सम्बन्ध में उसका निहितार्थ क्या है।

राष्ट्रीय परिदृश्य

राष्ट्रीय स्तर के कुछ विशेष मुद्दों का उल्लेख करने से पूर्व मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि अमरीका ने प्रेसलर संशोधन की निरस्त करके पाकिस्तान सरकार की शस्त्रों की आपूर्ति करने का निर्णय लिया है। अत: इसके फलस्वरूप पाकिस्तान के साथ हमारे देश के रक्षा संतुलन का बिगड़ जाना स्वाभाविक ही है। हमें अपने देश की सुरक्षा पर अधिक खर्च करने के लिये विवश होना पड़ेगा। उसने पहले ही 36.80 करोड़ डालर मूल्य के अत्याधुनिक शस्त्रों की आपूर्ति करने की घोषणा कर रखी है। अमरीका की इस कार्रवाई के कारण हमारे देश में तीव्र रोष एवं आक्रोश उत्पन्न हो गया है। इसके चलते सभी ओर से भारत अमरीका सैन्य समझौता रद्द करने तथा रक्षा सहयोग समाप्त करने की मांग की जाने लगी है। यह समझौता 12 जनवरी, 1995 को अमरीका के रक्षा मंत्री श्री विलियम पेरी तथा भारत के रक्षा राज्य मंत्री श्री मलिकार्जुन द्वारा किया गया था। इस समझौते में वे नागरिक एवं सेवाओं में परस्पर सम्पर्क स्थापित करने और रक्षा शोध कार्यों एवं उत्पादन में परस्पर सहयोग देने पर सहमत हुए थे। जब यह मामला संसद में विचारार्थ प्रस्तुत हुआ तब हमने प्रतिपक्ष की ओर से इसका घोर विरोध किया था किन्तु भारत सरकार ने यह कह कर कि यह समझौता तथाकथित "परिवर्तित वातावरण" में भारत तथा अमरीका के मध्य विकसित हो रहे नये सम्बन्धों का भाग ही है, दृढ़तापूर्वक इसका पृष्ठपोषण किया था।

सरकार ने अनेक मुद्दों पर भारत के प्रति अमरीका के शत्रुतापूर्ण रुख पर विचार करने की आवश्यकता को अनुभव ही नहीं दिया। हम जानते हैं कि जब जब भारत तथा पाकिस्तान के मध्य टकरावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई अमरीका ने सदा पाकिस्तान की ढाल बन कर सामने आता रहा है। जब हमने अपनी प्रौद्योगिकीय एवं सैन्य क्षमताओं में सुधार लाने का प्रयास किया तभी अमरीका उसके विरोध में आगे आया और उसने विभिन्न ढंगों से हमारे प्रयासों को विफल बनाने की कुचेष्टा की है।

रूस को क्रायोजनिक इंजन देने से रोकना इसकी एक उदाहरण है। हम जानते हैं कि हमारे साथ उसका कम मारक क्षमता के लड़ाकू जहाजों (एल सी ए) को विकसित करने के लिये एक समझौता हुआ था जिसका उसने सम्मान ही नहीं किया। कश्मीर विवाद पर भी उन्होंने सदैव पाकिस्तान का समर्थन किया है। वे (अमरीकी साम्राज्यवादी) हमारे देश के भीतर विभाजक शक्तियों को उकसा रहे हैं। यह एक सर्वविदित तथ्य है।

ये सभी तथ्य राव सरकार को अमरीका के साथ रक्षा 'सहयोग' समझौता करने से रोक नहीं पा रहे हैं। तथापि प्रेसलर कानून में श्री हैंक ब्राउन संशोधन के आलोक में अमरीका ने पहले ही पाकिस्तान को सैन्य शस्त्रों की आपूर्ति कर दी है। इसका संकेत मैं ऊपर दे चुका हूं। इससे कश्मीर समस्या निश्चित रूप से और उलझ जाएगी तथा पाकिस्तान की युद्ध पिपासा और भड़क उठेगी। अमरीका सरकार की इस कार्रवाई को एशिया प्रशांत क्षेत्र को अपनी मुट्ठी में रखने' की नीति के आलोक में देखा जाना चाहिए। वह भारत को भी एक ही (उसी) रस्से के साथ बांधना चाहता है। हमारे रीढ़ विहीन शासक क्योंकि कोष/बैंक के 'महा' प्रभुओं के समक्ष लोट रहे हैं, इसलिए उनकी ओर से अभी तक अमरीका की इन कार्रवाईयों का समुचित प्रत्युत्तर नहीं दिया गया। तथापि हमें इस घुटने टेकने वाली दुर्बल नीति के विरुद्ध अपना विरोध व्यक्त करना होगा और उपरोक्त भारत-अमरीका सहयोग समझौते (या सौदे) को निरस्त करने की मांग करनी होगी।

पश्चिम बंगाल की औद्योगिक नीति

साथियो,

केंद्रीय सरकार की नयी आर्थिक एवं औद्योगिक नीति की पृष्ठभूमि में पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार ने राज्य के औद्योगिक विकास के संदर्भ में अपना नीतिगत वक्तव्य जारी किया है। कांग्रेस तथा केंद्रीय सरकार ने इसके सम्बन्ध में एक अभियान सा छेड़ दिया है। उसके द्वारा कहा जा रहा है कि राज्य सरकार जहां केंद्रीय नीति की आलोचना कर रही है वहीं अपने राज्य में वह उसी नीति की कार्यरूप दे रही है। जनता तथा विशेष रूप से श्रमिकों में भ्रांतियां उत्पन्न करने के उद्देश्य से जानबूझ कर यह अभियान छोड़ा जा रहा है। इसलिए मैं तथ्यों को स्पष्ट करने के लिये इस नीति के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा।

स्थिति को समझने के लिये हमें केंद्रीय सरकार के उस रुख का स्मरण करना होगा जो उसने वाम शक्तियों के ठोस आधार वाले राज्य पश्चिम बंगाल के प्रति अनेक वर्षों से अपनाया हुआ है। राज्य को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा बनाए रखने के लिये जानबूझकर राज्य के साथ पक्षपात करने वाली नीति को जारी रखा गया ताकि उसके विकास को निश्चल बनाया जा सके, रोजगार सर्जन की प्रक्रिया का गला घोंटा जा सके और वाम शक्तियों को पंगु बनाया जा सके।

वर्ष 1977 में वाम मोर्चा सरकार का गठन होने के पश्चात् राजनीतिक पक्षपात की नीति को और भी सुनिश्चित बना दिया गया। नये उद्योगों के लिये लाइसेंस जारी करने, सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी का निवेश करने, आधुनिकीकरण के लिये धन उपलब्ध कराने और सार्वजनिक क्षेत्र की वर्तमान इकाईयों का विस्तार करने इत्यादि मामलों मे केन्द्रीय सरकार के पक्षपाती रुख के चलते पश्चिम बंगाल को भारी क्षति झेलनी पड़ी है। केन्द्रीय सरकार, बुर्जुआ प्रेस तथा वाम पक्ष की विरोधी शक्तियों की ओर से एक शक्तिशाली अभियान चलाया गया। उस के अन्तर्गत प्रचार किया जाता था कि जब तक राज्य में वाम मोर्चा सरकार सत्ता में है, तब तक यह कोई भी धन नहीं लगाएगा। इसी अभियान के दुष्परिणामस्वरूप पूंजी पश्चिम बंगाल से अन्य राज्यों में उड़ान भरने लगी।

राज्य के अ-उद्योगीकरण के उन्मत्त प्रयास को इस तथ्य से देखा जा सकता है कि वर्ष 1981 में सार्वजनिक क्षेत्र में पश्चिम बंगाल का भाग 8.2 प्रतिशत था जबकि महाराष्ट्र का 8.6 प्रतिशत था। किन्तु 1991-92

में पश्चिम बंगाल के भाग को कम करके 7 प्रतिशत कर दिया गया जबकि महाराष्ट्र का भाग उछल कर 16.3 प्रतिशत हो गया। लाइसेंस देने के मामले में भी पश्चिमी बंगाल का भाग 74 रहा जबकि अखिल भारतीय आंकड़ा 1026 था। पश्चिम बंगाल का देश में चौथा स्थान था। वर्ष 1984-85 में पश्चिम बंगाल का स्थान नीचे सरक कर आठवां हो गया और 1991 में तो वह और नीचे सरक गया तथा चौदहवां हो गया।

वर्ष 1977 में सत्तारूढ़ होने के पश्चात् वाम मोर्चा सरकार ने हाल्दिया पेट्रो-केमिकल परियोजना, ऊर्जा संयंत्रों, साल्ट लेक में इलेक्ट्रानिक्स कम्पलेक्स, कलकत्ता बंदरगाह के आधुनिकीकरण, जहाज निर्माता उद्योग इत्यादि विशेष क्षेत्रों का विकास के लिये पता लगाया। किन्तु केन्द्रीय सरकार ने इन क्षेत्रों में धन लगाने से इन्कार कर दिया। इसके लिये दीर्घावधि तक संघर्ष किया गया। ग्यारह वर्षों के पश्चात् केन्द्रीय सरकार ने केबल इलेक्ट्रानिक कम्पलेक्स के लिये अपनी स्वीकृति प्रदान की।

वर्ष 1991 में नयी आर्थिक नीतियां लागू होने पर केन्द्रीय सरकार ने अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक के समक्ष घुटने टेक दिये हैं। इसके परिणाम किस सीमा तक विनाशकारी रहे हैं, इसे कहने की आवश्यकता नहीं। पश्चिम बंगाल के मामले में तो इन नीतियों ने अपना रंग कुछ अधिक ही दिखाया है। वहां अकेले सार्वजनिक क्षेत्र की 20 इकाईयों को बी आइ एफ आर के हवाले कर दिया गया है। इनमें से पांच इकाईयों का बिस्तर गोल करने की संस्तुति बी आइ एफ आर पहले ही दे चुका है। इसके कारण 1.25 लाख से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। राज्य में स्थापित 6 वैगन कारखाने कार्यादेशों के अभाव से त्रस्त हैं। केन्द्र भारी मूल्य चुका कर विदेशों से रेल इंजनों का आयात कर रहा है जबकि इन्हें चितरंजन लोकोमोटिव फेक्टरी में तैयार किया जा सकता है। केन्द्र ने एइस्को का आधुनिकीकरण करने के लिये पूंजी का निवेश करने से इन्कार कर दिया है। राज्यों के लिये जाने वाले अनुदानों तथा सहायता राशियों में कमी कर दी गई है। यहां पर भी एक बार पुनः पश्चिम बंगाल का भाग कम किया गया है। यह भाग छटी पंच वर्षीय योजना में 3.59 प्रतिशत (पांचवां स्थान) था और आठवीं पंच वर्षीय योजना में कम होकर 2.24 प्रतिशत (दसवां स्थान) रह गया।

नयी आर्थिक नीति लागू होने के तुरंत पश्चात् पश्चिम बंगाल सरकार ने उसकी कड़ी आलोचना की थी। इसके बदले में उसने अनेक वैकल्पिक प्रस्तावों का सुझाव दिया था। ये सुझाव इस प्रकार थे: भूमि सुधार, शक्तियों का विकेन्द्रीकरण, काले धन के विशाल अम्बार को बाहर निकाला जाए, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों का आधुनिकीकरण एवं विस्तार करने, बहुराष्ट्रीय निगमों के अंधाधुंध अनुप्रवेश को बढ़ावा देने के साथ-साथ अनिवेशी भारतीयों से सहयोग लेने, स्वदेशी प्रौद्योगिकी और शोध एवं विकास कार्यों (आर एण्ड डी) को और विकसित करना इत्यादि। इन सुझावों को कार्यरूप दिये जाने के फलस्वरूप आत्मनिर्भर आर्थिकता को बढ़ावा मिलता। किन्तु केंद्रीय सरकार ने इन सुझावों को रद्दी की टोकरी में फेंकना ही उचित समझा और उसने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष/विश्व बैंक के नुसखों का अनुकरण करना ही श्रेयस्कर समझा। तत्पश्चात् उसने गैट समझौते पर हस्ताक्षर करके इसे देश के लिये समग्र नीति का रूप दे दिया।

केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही वैकल्पिक मार्ग अपनाने का प्रस्ताव दिया गया था। क्योंकि केन्द्र ने पश्चिम बंगाल द्वारा दिये गए वैकल्पिक सुझावों को स्वीकार नहीं किया, इसलिए उसे नये वातावरण (या परिस्थितियों) में उपलब्ध सीमित अवसरों से लाभ उठाने का दृष्टिकोण अपनाना पड़ा।

राज्य के औद्योगिक विकास के प्रति पश्चिम बंगाल सरकार के वर्तमान दृष्टिकोण को इसी पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिये।

यह दृष्टिकोण जहां तक सम्भव हो सके श्रेष्ठतम ढंग से राज्य का औद्योगिकीकरण करने की भारी दूरदृष्टि का प्रतिबिम्ब ही है। इसी दृष्टिकोण के चलते पहले ही कृषि तथा लघु क्षेत्र को विकसित करके राज्य के औद्योगिकीकरण का आधार तैयार किया जा चुका है। इन दोनों क्षेत्रों में राज्य देश भर में शीर्ष स्थान प्राप्त कर चुका है और उसने आंतरिक संरचनात्मक सुविधाओं (या तंत्र) में सुधार लाने के काम पर स्वयं को केंद्रित किया है।

भूमि सुधारों को सफलतापूर्वक कार्यरूप दिये जाने, बटाईदारों को न्यायाचित अधिकार प्रदान करने, खेत मजदूरों के वेतनों में वृद्धि, लघु सिंचाई योजनाओं का प्रसार होने से छोटे किसानों को लाभ हुआ है और इसके फलस्वरूप राज्य भी कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रहा है। 3-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के माध्यम से आर्थिक एवं राजनीतिक दोनों प्रकार की शक्तियों का विकेन्द्रीकरण पूरे देश के लिये माडल बन गया है। मत्स्य पालन, सामाजिक वानिकी, स्थायी परिसम्पत्तियों की स्थापना, ग्रामीण सड़कों का प्रसार, सामुदायिक केन्द्रों, रोग निरोधक स्वास्थ्य केन्द्रों, गंदे पानी के विकास की समुचित व्यवस्था करने के मामले में पश्चिम बंगाल का स्थान देश की सूची में सबसे ऊपर है।

योजना आयोग के अनुसार रोजगार सर्जन के मामले में भी पश्चिम बंगाल का देश भर में पहला स्थान है।

लघु तथा कुटीर उद्योगों में प्रभावशाली प्रगति दर्ज की गई है। वह औद्योगिक उत्पादन के 45 प्रतिशत भाग का योगदान देता है। और राज्य से 40ब सामग्री का निर्यात होता है। गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या जहां 1977-98 में 58.3 प्रतिशत थी वहीं अब कम होकर 30 प्रतिशत रह गई है जबकि शेष देश में यह दर बढ़ती ही चली जा रही है।

औद्योगिक वस्तुओं की बिक्री के लिये बाजार उपलब्ध कराया गया है और लोगों की क्रय शक्ति में भी वृद्धि हुई है। इस सब का उपयोग औद्योगिक विकास के लिये किया जाना चाहिये।

पश्चिम बंगाल में अधिकांश विदेशी निवेश प्रत्यक्ष होता है और यह निवेश संयुक्त क्षेत्र में भी होता है। पश्चिम बंगाल में जहां नये-नये उद्योग स्थापित किये जा रहे हैं वहीं पुरानी औद्योगिक इकाईयों का आधुनिकीकरण और बीमार इकाईयों को पुनर्जीवित किया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल जहां अपनी सीमित शक्तियों के साथ राज्य का तीव्र औद्योगिकीकरण कर रहा है वहीं उसने मूल-क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख भूमिका को भी रेखांकित किया है। इसी उद्देश्य को सामने रख कर

उसने एम ए एम सी, एच एफ सी, एइस्को, बर्न्स, एन टी सी मिलों इत्यादि के विखण्डन की केन्द्रीय नीति का घोर विरोध किया है। औद्योगिकीकरण के मार्ग पर चलते हुए आंतरिक संरचनात्मक सुविधाओं में सुधार लाने तथा उनका विस्तार करने के काम, जो औद्योगिक विकास की पूर्व शर्त है, पर उचित ही बल दिया गया है।

एक और महत्वपूर्ण कारक को यहां रेखांकित किया जाना चाहिए। वह यह है कि पश्चिम बंगाल सरकार जहां तीव्र औद्योगिकीकरण के लिये भागीरथ प्रयास कर रही है वहीं वह निरंतर श्रमिक हितों तथा उनके ट्रेड यूनियन अधिकारों की रक्षा भी करती है तथा औद्योगिकीकरण की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिये वह उनके साथ विचार विमर्श करती है। केन्द्रीय सरकार की नीति उसके ठीक विपरीत है।

साथियो, राज्य अपनी सीमित शक्तियों तथा केन्द्रीय सरकार की नीतियों के दबावों के होने पर भी औद्योगिकी पुनर्सर्जन के लिए भरसक प्रयास कर रही है।

साथियो, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप पश्चिम बंगाल की औद्योगिक नीति का अत्यंत गहराई में जा कर अध्ययन करें और केन्द्र तथा राज्य सरकार की नीतियों में अन्तर को समझने का प्रयास करें। हमें बुर्जुआजी द्वारा इसके विरोध में चलाए जा रहे मिथ्या प्रचार अभियान के प्रतिकार हेतु इसके पक्ष में प्रचार अभियान चलाना होगा।

सार्वजनिक क्षेत्र का विनिमय

साथियो,

मैं उस बड़े ससंघं के विस्तार में जाना नहीं चाहता जो हम नरसिम्हा राव सरकार द्वारा अपनाई गई उदारीकरण तथा निजीकरण की नीति के विरोध में चला रहे हैं। यद्यपि हम सरकार के कुछ विशिष्ट प्रस्तावों को कार्यान्वित होने से रोकने में सफल रहे हैं तथापि वे लोग सार्वजनिक क्षेत्र को निजी पूंजीपतियों जिनमें भारतीय तथा विदेशी दोनों सम्मिलित हैं, के हाथों में दे देने पर तुले हुए हैं।

निजी क्षेत्र के पक्ष में सरकार की नीतियों में लाये गए परिवर्तन को राजस्व शुल्कों तथा विभिन्न क्षेत्रों में तथा उत्पादों पर आबकारी शुल्क में की गई कटौती के रूप में देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र को ऋण तथा बजट सहायता देने से स्पष्ट इंकार किया जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र में निर्मित विश्व स्तर की मशीनों जो कम मूल्य की भी होती हैं, को सौद्देश्यपूर्ण ढंग से दृष्टिलोप किया जाता है और उनकी अपेक्षा विदेशों में निर्मित मशीनों को प्राथमिकता दी जाती है। इसके दुष्परिणाम स्वरूप हमारे विदेशी मुद्रा के कोष का भारी क्षरण होता है। रेलवे में उसकी अपनी मशीनों की दृष्टिलोप कर दिया गया है। तथा उसे विदेशों से मशीनों का आयात करने के लिये कहा गया है। बी एच इ एल की पावर मशीनों को दृष्टिलोप करके विदेशी पावर मशीनों का उससे ऊंचे मूल्यों पर आयात करने के लिये उत्साहित किया जा रहा है।

भारत का बैंकिंग तथा बीमा क्षेत्र जो विश्व में अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति में है, के द्वारा भारतीय तथा विदेशी पूंजी के लिये खोले जा रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के शेयरों का पूंजी विनिवेश कार्यक्रम पूरे जोर-शोर से जारी है। पिछले पांच वर्षों की कहानी नीचे दी जा रही है:

1991-92	3,038 करोड़
1992-93	1,961 करोड़
1993-94	(-) 48 करोड़
1994-95	5,237 करोड़
1995-96	7,000 करोड़
कुल	17, 288 करोड़

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में 31 मार्च 1996 तक लगभग 59,0000 करोड़ रुपये की कुल पूंजी दी गई। उसमें से लगभग एक-तिहाई पूंजी का स्वामित्व मिट्टी के मोल निजी हाथों में दे दिया गया। यदि यही दर बनी रही तो अगले वर्ष तक सार्वजनिक क्षेत्र की बहुसंख्य इकाईयों का स्वामित्व निजी क्षेत्र के पास चला जाएगा। विश्व भर में भारी लाभ अर्जित करने वाली कम्पनियां भी इनमें सम्मिलित हैं। ऐसी आठ कम्पनियां हैं: तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, भारत पेट्रोलियम, विदेश संचार निगम, भारतीय तेल निगम, महानगर टेलीफोन निगम, भारतीय इस्पात प्राधिकरण, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम तथा नेशनल फर्टिलाइजर्स इत्यादि। इन कम्पनियों ने सामूहिक रूप से वर्ष 1993-94 में 6,023.34 करोड़ रुपये का कर-पूर्व लाभ अर्जित किया था जबकि सभी सार्वजनिक उद्यमों का लाभ 11,817.17 करोड़ रुपये का था।

इस बिक्री से प्राप्त कुल धन का उपयोग सम्बन्धित उद्योगों के विकास एवं विकास गतिविधियों के लिये नहीं किया जाता। पूरे धन का व्यय घाटे को पूरा करने के लिये बजट खर्चों पर किया जाता है।

उपरोक्त दृष्टांत से देखा जा सकता है कि जनता द्वारा खून-पसीना एक करके अर्जित की गई सम्पदा को मिट्टी के मोल निजी पूंजीपतियों देशी तथा विदेशी दोनों के पास अंतरित किया जा रहा है। इस्पात श्रमिक तो इसे कदापि भुला नहीं सकते। उन्होंने इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को बेचे जाने का तीव्र प्रतिरोध किया था। और न ही कोई व्यक्ति सर्वोत्तम लौह अयस्क खदानों 'बेलाडिला' को निजी हाथों में सौंपे जाने सम्बन्धी लज्जा जनक सौदे को भुला सकता है। जन प्रतिरोध के चलते इस सौदे को अस्थाई रूप से टाल दिया गया है।

इसलिए, श्रमिक वर्ग अपनी पूर्ण सांगठनिक तथा राजनीतिक निष्ठा का परिचय देते हुए इन नीतियों की राष्ट्र विरोधी घृणित प्रकृति को रेखांकित करे और इन नीतियों को बदलने तथा इनका प्रतिकार करने के लिये एकजुट होकर संघर्ष करने का प्रण करे।

अपराधियों, राजनीतिज्ञों तथा नौकरशाहों का गठजोड़

मैं आपका ध्यान कांग्रेस (इ) शासकों द्वारा अपनाई गई घृणित नीतियों के फलस्वरूप हमारी प्रशासकीय एवं राजनीतिक व्यवस्था को पहुंची गम्भीर क्षति की ओर दिलाना चाहता हूं।

असाधारण प्रकृति के भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस-इ पार्टी का पीछा कर रहे हैं। उसके अनेक नेताओं तथा मंत्रियों जिनमें प्रधान मंत्री भी सम्मिलित हैं, पर इन आरोपों की काली छाया पड़ रही है। प्रतिभूति घोटाला, चीनी घोटाला, हवाला घोटाला इत्यादि कितने ही नाम इस सम्बन्ध में लिये जा सकते हैं। वोहरा आयोग की रिपोर्ट जिसमें राजनीतिज्ञों, नौकरशाहों तथा अपराध जगत के दैत्यों के आपराधिक गठबंधन की पोल खोली गई है, से पता चल जाता है कि कांग्रेस-इ का वास्तविक रंग क्या है। रिपोर्ट में अन्य बातों के अतिरिक्त अधोलिखित तथ्य भी उद्धृत किये गए हैं:

3.2 बड़े शहरों में...बड़ी जागीरों की आय का प्रधान स्रोत वे भूमियां/भवन होते हैं जिन्हें उन्होंने (जागीरों के मालिकों) बलात कब्जा करके, उसके मालिकों/किरायेदारों को जबरदस्ती बाहर निकाल कर और उन्हें बहुत धन मूल्य देकर हथिया लिया होता है। **इस प्रकार प्राप्त किये गए धन का प्रयोग वे लोग नौकरशाहों तथा राजनीतिज्ञों के साथ सम्पर्क स्थापित करने और अपनी गतिविधियों के प्रसार हेतु करते हैं और इसके लिये उन्हें कोई दण्ड नहीं मिलता। धन-शक्ति का प्रयोग वे लोग बाहू-बल के नेटवर्क को विकसित करने जिसका उपयोग चुनावों के समय राजनीतिज्ञों द्वारा भी किया जाता है, के लिये करते हैं।**

3.3 "सी बी आइ ने रिपोर्ट दी है कि भारत भर में अपराधी गठजोड़ (सिंडीकेट) अपने में ही कानून बने बैठे हैं। यहां तक कि छोटे शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भी बाहू-बल का प्रयोग करने वाले **गुण्डा तत्व वर्तमान दौर की एक वास्तविकता बन चुके हैं। भाड़े के हत्यारे इन संगठनों के भाग बन चुके हैं। आपराधिक गिरोहों, पुलिस, नौकरशाही तथा राजनीतिज्ञों का अपवित्र गठबंधन देश के विभिन्न भागों में खुल कर सामने आ गया है।**" और 3.4 पैरा में उन्होंने यह भी कहा है कि..."उस स्थिति में जहां अपराधी सिंडीकेट एक बड़ा कारोबार है उन लोगों की परिसम्पत्तियों चल तथा अचल दोनों की विस्तृत जांच कराना आवश्यक है।"

यह रिपोर्ट सरकार को 5 अक्टूबर 1993 को प्रस्तुत की गई थी। किन्तु सरकार ने ऐसे गिरोहों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की है। जब सरकार पर दबाव बढ़ा तो उसके द्वारा यह रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत कर दी गई। एक कुख्यात अपराधी श्रीवास्तव बबलू पुलिस के जाल में फंस गया। उसने स्वीकार किया कि बम्बई बम धमाकों के मुख्य अभियोगी तथा अपराध जगत का कुख्यात दादा दाउद इब्राहिम के साथ चन्द्रास्वामी के सम्बन्ध रहे हैं। कांग्रेस (इ) के अनेक नेता तथा मंत्री चन्द्रास्वामी के अनुयायी हैं। प्रधान मंत्री के तो उसके (चन्द्रास्वामी) साथ "विशेष सम्बन्ध" हैं। यह एक सर्वविदित तथ्य है। तथापि उसे अदालत के कटहरे में खड़ा करने के लिये कुछ नहीं किया गया। जिस मंत्री अर्थात् श्री राजेश पायलट ने उसे गिरफ्तार करने का आदेश देने का साहस किया था, उसे उसके पद से ही हटा दिया गया। अत: बुर्जुआ राजनीतिज्ञ, अपराध जगत के दादा लोगों तथा नौकरशाहों का अपवित्र गठबंधन अपने स्तर पर समानांतर प्रशासन चला रहा है। नरसिम्हा राव के राज में शासन की संसदीय व्यवस्था इस अपवित्र गठबंधन का शिकार हो गई है।

साथियो, हमने त्रिपुरा तथा केरल राज्य में स्थानीय निकायों के चुनाव परिणामों को देखा है। वहां वाम तथा जनवादी शक्तियों को शानदार विजय प्राप्त हुई है। मैं आपकी ओर से दोनों प्रदेशों की जनता को बधाई देता हूं। मुझे आपको इस बात का स्मरण कराने की आवश्यकता नहीं है कि हमें अपने बूते पर अगले वर्ष के आरम्भ में होने जा रहे संसदीय चुनावों में वाम तथा जनवादी शक्तियों की विजय को सुनिश्चित बनाना है।

आप जानते हैं कि श्रमिक वर्ग को कांग्रेस तथा प्रतिक्रियावादी साम्प्रदायिक संगठन भाजपा जो हिन्दुओं तथा मुसलमानों के मध्य राष्ट्र को विभाजित करने पर तुला हुआ है, को परास्त करने के लिये एक नया अवसर सुलभ हो रहा है। हमारी स्वतंत्रता, लोकतंत्र को बनाए रखने तथा प्रगति को सुनिश्चित बनाने का यही केवल एक मात्र मार्ग है।

साथियो, देश में उभर रहीं वाम, जनवादी एवं धर्मनिर्पेक्ष शक्तियां केन्द्र की सत्ता पर आसीन हों, इसके लिये हमें अपनी पंक्तियों में एकजुटता लानी होगी। श्रमिक वर्ग की एकता अमर रहे।

2-11-1995
भिलाई

बाल मजदूरी पर बिहार में राज्य कार्यशाला का आयोजन

बाल मजदूरी की समस्या पर बिहार की राज्य स्तरीय सी आइ टी यू - आइ एल ओ कार्यशाला का आयोजन 13-14 नवंबर को पटना के पंचायत भवन में किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा के निदेशक श्री ए पी वर्मा ने किया जबकि अध्यक्षता राज्य सी आइ टी यू के अध्यक्ष कामरेड चण्डी प्रसाद ने की। सी आइ टी यू के सचिव कामरेड पी के गांगुली ने कार्यशाला में भाग लेने के लिये आए 45 प्रतिनिधियों को बाल मजदूरी सम्बन्धी सी आइ टी यू परियोजना की जानकारी दी। बिहार सी आइ टी यू के महासचिव कामरेड जे एस मजूमदार ने प्रमुख आलेख प्रस्तुत किया। कार्यशाला में बाल मजदूरी के प्रश्न पर पाकुर, भागलपुर, जमई तथा बेगुसराए इत्यादि स्थानों पर सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

इसी प्रकार खनन उद्योग में बाल मजदूरी के प्रश्न पर 15 नवंबर को पटना में राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन सी आइ टी यू के सचिव कामरेड पी के गांगुली ने किया। प्रमुख आलेख बिहार सीटू के सचिव कामरेड के के मण्डल ने प्रतुतत किया। इसमें 29 दिसम्बर को "खनन उद्योग में बाल मजदूरी" के विरुद्ध सम्मेलन तथा जनसभाएं करने का निर्णय लिया गया।

[विस्तृत रिपोर्ट सीटू मजदूर के अगले अंक में प्रकाशित की जाएगी।]

□

सी आइ टी यू वर्किंग कमेटी
बैठक में पारित प्रस्ताव

जन संगठनों के राष्ट्रीय मंच का आगामी कार्यक्रम

सी आइ टी यू वर्किंग कमेटी की बैठक जन संगठनों के राष्ट्रीय मंच द्वारा 15 दिसम्बर, 1995 को देश भर में विशाल प्रदर्शन करने सम्बन्धी लिये गए निर्णय का पूर्ण समर्थन करती है। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक के निदेशों पर भारत सरकार द्वारा अपनाई गईं विनाशकारी आर्थिक नीतियों के विरुद्ध जन आक्रोश को अभिव्यक्त किया जाएगा।

वर्किंग कमेटी राष्ट्रीय मंच के आह्वान पर 15 सितम्बर 1995 को देश भर में नयी आर्थिक नीतियों के विरुद्ध जन सभाओं तथा प्रदर्शनों के सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त करती है। इसके अतिरिक्त जन संगठनों द्वारा अनेक प्रारम्भिक कार्यक्रमों जिनमें समाज के सभी वर्गों से सम्बन्ध रखने वाले लोगों ने भाग लिया, का आयोजन किया गया था। इन्हीं कार्यक्रमों की चरम परिणति 15 दिसम्बर को राज्य स्तरीय जन सभाओं के रूप में होगी।

वर्किंग कमेटी अपने साथ सम्बद्ध सभी श्रमिक संघों तथा सामान्य रूप से सम्पूर्ण श्रमिक वर्ग से अनुरोध करती है कि वे भारत सरकार द्वारा अपनाई गई नयी आर्थिक नीतियों की पृष्ठभूमि में सामाजिक-राजनीतिक मोर्चे पर द्रुत गति से परिवर्तित हो रही स्थिति और इन नीतियों के विरुद्ध निचले स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक वर्ग तथा सभी वर्गों ससे सम्बन्धित जनवादी जनता के बढ़ रहे संघर्षों का गम्भीरतापूर्वक नोटिस लें। इन संघर्षों में जन संगठनों के राष्ट्रीय मंच तथा विशेष रूप से श्रमिक वर्ग ने महती भूमिका निभाई है। स्थिति की मांग है कि संयुक्त मंच को और सुदृढ़ बनाने और विनाशकारी नीतियों के प्रतिपादकों एवं संरक्षकों को पूर्णतया परास्त करने के उद्देश्य से संघर्षों को और तीव्रतर किया जाए। संघर्ष के वर्तमान चरण में 15 दिसम्बर 1995 को होने वाली जन सभाओं का भारी सफलता निश्चित रूप से निकट भविष्य में नयी आर्थिक नीतियों के विरुद्ध जारी संघर्षों को नये आयाम देने के लिये अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न होंगी।

वर्किंग कमेटी अपनी सभी इकाईयों से अनुरोध करती है कि वे 15 दिसम्बर 1995 की राज्य स्तरीय जनसभाओं को जबरदस्त सफलता दिलाने के लिये उसकी तैयारियों में जुट जाएं तथा राष्ट्रीय मंच के अन्य घटकों के साथ मिल कर पहलकदमियां करें।

बेलाडिला खान का घोटालेपूर्ण सौदा

वर्किंग कमेटी मध्य प्रदेश में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र की एक इकाई तथा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एन डी एम सी) के स्वामित्व वाली लौह अयस्क खदान के बेलाडिला समूह के 11-बी भण्डारों को मिट्टी के मोल मित्तल उद्योग समूह से सम्बन्धित मैसर्ज निप्पन देंद्रो इस्पात लिमिटेड की झोली में डाल दिये जाने सम्बन्धी भारत सरकार के निर्णय की तीव्र निंदा करती है। जिस ढंग से तथा जिन शर्तों पर संयुक्त उद्यम के छलावे के अन्तर्गत उसे अनुभवहीन लोगों के हाथों में सौंपा गया है उससे सरकार में विराजमान महानुभावों की अल्पबुद्धि और सार्वजनिक सम्पत्ति के साथ-साथ जन हितों की संरक्षा एवं सुरक्षा के प्रति उनकी उदासीनता का परिचय भी मिलता है।

यह खदान पहले से ही निश्चित किये गये निजी समूह के हाथों में ही जाए, इसी हताशा भरे प्रयासों के चलते सरकार ने निविदाएं आमंत्रित करने, प्रतिस्पर्धी बोली लगाने तथा पारदर्शिता जैसी मूलभूत प्रक्रियागत आवश्यकताओं को भी ठेंगा दिखा दिया है। वर्किंग कमेटी राष्ट्रीय सम्पदा से सम्बन्धित इस घोटालेपूर्ण सौदे की तीव्र निंदा करती है और पूरी दृढ़ता के साथ इसका प्रतिकार करने का प्रण करती है।

बेलाडिला खान के 11-बी भण्डार उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क का उत्पादन करने वाली खदानों में से एक हैं। इसके लौह अयस्क में 67 प्रतिशत फेरस (अर्थात् लौहमय) तत्व पाया जाता है। इसे निजी क्षेत्र के हाथों में दे दिये जाने के फलस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र में इस्पात उत्पादक संयंत्रों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। विशेष रूप से विजाग इस्पात संयंत्र पर अच्छी गुणवत्ता वाले लौह अयस्क की आपूर्ति के सम्बन्ध में अनिश्चिततापूर्ण स्थिति की तलवार लटकती रहेगी। इसके विपरीत, यदि इस सौदे को कार्यरूप दिया गया तो उससे एक निजी फर्म को सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के मूल्य पर एकाधिकारवादी लाभ प्राप्त हो जाएगा।

वर्किंग कमेटी ने इस सम्बन्ध में इस्पात मंत्रालय द्वारा दिये जा रहे इस तर्क को रद्द कर दिया कि एन डी आइ एल को 11-बी भण्डार का हस्तांतरण होने से स्वदेश में निर्मित इस्पात प्रतिस्पर्धी बनेगा तथा बहुमूल्य लौह अयस्क के विदेशों में होने वाले स्राव पर रोक लगेगी। क्योंकि इस्पात मंत्रालय इस घोटालेपूर्ण सौदे का प्रवर्तक तथा सर्वाधिक सक्रिय अभिकरण रहा है, इसलिए वह जन साधारण को भ्रमित करने तथा निहित स्वार्थों की पूर्ति करने वाले इस सौदे पर मिट्टी डालने के उद्देश्य से एक सुनियोजित योजना के अन्तर्गत ऐसा अनर्गल प्रचार कर रहा है।

वर्किंग कमेटी इस्पात मंत्रालय की उस घृणित कार्याविधि की भी तीव्र निंदा करती है जिसके अन्तर्गत 10.40 करोड़ टन उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क के इस भण्डार का निजी समूह को उसके शुद्ध बाजार मूल्य के दसवें भाग पर अंतरण किया गया। उससे केवल 16 करोड़ रुपये लिये गये जो उसका लागत मूल्य ही है। तथाकथित मूल्य आधार की गणना करते समय पूरे क्षेत्र में आंतरिक संरचना को विकसित करने में एन डी

एन सी ने जो खर्च किया है, उसे किसी गिनती में ही नहीं रखा गया। खदान के अंतरण के इस कुत्सित सौदे में "मिनरल कनसेशन रूल्स" का भी उल्लंघन किया गया है ये नियम खनन कार्यों के सरकारी निगम के हाथों से किसी अन्य समूह के पास पट्टे पर चले जाने की स्थिति में निकाले गए खनिज या अयस्क की सहमति वाली प्रति इकाई के लिये सहमति वाली राशि के आधार पर रिटर्न को निर्धारित करते हैं। 11-बी भण्डार में लौह अयस्क के 10.40 करोड़ टन के अनुमानित भण्डार जिसे बीस वर्षों में निकाला जाएगा, के दृष्टिगत वित्तमंत्रालय ने मिनरल कनसेशनल रूल्स के आधार पर अनुमान लगाया है कि नयी कम्पनी 17640 करोड़ रुपये का संचित लाभ अर्जित करेगी। उसके वार्षिक लाभ का अनुमान 88.21 करोड़ रुपये है। और इस्पात मंत्रालय अपनी तरंग में आ कर इतनी समूह खदान को मात्र 16 करोड़ रुपये (प्रकट रूप में) की अल्प राशि के बदले में निजी कम्पनी की झोली में डाल रहा है। गुप्त रूप से इस सौदे में कितना पैसा एंठा गया, उसकी जानकारी नहीं मिल सकी है।

केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में आर्थिक मामलों की समिति ने इस्पात मंत्रालय द्वारा किये गए घृणित सौदे को स्वीकृति प्रदान करने में जिस विवेक एवं तत्परता का परिचय दिया, उसकी भी वर्किंग कमेटी भर्त्सना करती है जबकि उसका मानना था कि एन डी एम सी अपने बूते पर इस खदान को विकसित कर सकती है। एन डी एम सी के पास न केवल इसके लिये संसाधनों को जुटाने की क्षमता विद्यमान है अपितु उसके पास अपने विशेषज्ञ भी हैं। बैठक में विचार व्यक्त किया गया कि यदि सरकार सभी खदानों को एन डी एम सी से छीन लेना चाहती है तो उसे इन्हें सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई विजाग इस्पात संयंत्र को दे देना चाहिए जिसे अपार धन राशि का निवेश करके शुरू किया गया था। अन्य संयंत्रों की भांति उसके पास भी अपनी कोई खदान नहीं है।

वर्किंग कमेटी का विचार है कि बेलाडिला खदान को लगभग मुफ्त में ही निजी हाथों में स्थानांतरित कर दिया गया है। यह न केवल देश के हितों पर कुठाराघात है अपितु जन साधारण को मूर्ख बनाने की आपराधिक कार्रवाई भी है। इसके साथ ही यह सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात उद्योग के विरुद्ध एक षडयंत्र भी है। वर्किंग कमेटी सार्वजनिक धन एवं सम्पदा की लूट मचाने वाले लोगों तथा इसके लिये उत्तरदायी सरकार की कटु निंदा करती है। वर्किंग कमेटी इस बात पर संतोष व्यक्त करती है कि संसद के दोनों सदनों में प्रतिपक्ष ने जिसमें सभी वर्गों से सम्बन्धित सांसद सम्मिलित हैं, इस घोटालेपूर्ण सौदे के लिये सरकार को लम्बे हाथों लिया है। वह श्रमिक वर्ग द्वारा एकजुट होकर ऐसे सौदे का विरोध किये जाने की कार्रवाईयों का स्वागत किया है। वर्किंग कमेटी श्रमिक वर्ग तथा जनवादी जनता से अनुरोध करती है कि वे अपनी पंक्तियों में एकता लाएं और लौह अयस्क खदान को एक निजी कम्पनी के हाथों में सौंपने के माध्यम सरकार द्वारा सार्वजनिक सम्पदा की मचाई जा रही लूट को रोकें।

बोनस भुगतान अधिनियम में संशोधन

वर्किंग कमेटी बोनस भुगतान अधिनियम (संशोधित) के पारित हो जाने की घटना की ओर ध्यान देती है जिसके अन्तर्गत बोनस भुगतान तथा बोनस भुगतान के लिये पात्रता की सीमा को बढ़ा कर क्रमश: 2550 रुपये तथा 3500 रुपये कर दिया गया है।

भारत सरकार द्वारा नियोक्ताओं के दबावों के समक्ष घुटने टेक देने के कारण बोनस अधिनियम में संशोधन को पारित करने के मामले में असाधारण देरी हुई है। बोनस की सभी सीमाओं को समाप्त करने सम्बन्धी श्रमिक संघों की न्यायोचित मांग की भारत सरकार ने संशोधन की अपनी इस कार्रवाई के माध्यम से दृष्टिलोप कर दिया है।

वर्किंग कमेटी का यह सुस्पष्ट विचार है कि श्रमिकों के बोनस पर किसी प्रकार की सीमा का निर्धारण करना हास्यास्पद है जबकि इसके विपरीत वह नियोक्ता (मालिक) वर्ग के लाभार्जन के लिये कोई सीमा निश्चित करने मामले में पूर्णतया अक्षम है। जब उद्योग की लाभकारिता में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही हो और विशेष रूप से उदारीकरण की नीतियां लागू होने के पश्चात् नियोक्ताओं को उदार छूटों (या सुविधाओं) से मालामाल किया जा रहा हो तो उस स्थिति में श्रमिकों की विराट संख्या को बोनस की अयथार्थवादी सीमा को थोप कर बोनस भुगतान की परिधि से बाहर धकेला जा रहा है।

यह श्रमिकों के साथ नृशंस मजाक ही है। तथाकथित 'सुधार' वही हैं जिनका सुझाव 1980 में तत्कालीन श्रम मंत्री ने दिया था किन्तु तत्कालीन सरकार ने उन्हें रद्दी की टोकरी में डाल दिया था। अब समय व्यतीत होने के साथ-साथ असाधारण मूल्यवृद्धि के चलते ये सीमाएं निरर्थक होकर रह गई हैं क्योंकि इस तथाकथित सुधार के होने पर भी जो विलम्बित वेतन के रूप में बोनस की अवधारणा की खिल्ली उड़ाने की कार्रवाई के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, सार्वजनिक क्षेत्र और संगठित क्षेत्र में भी श्रमिकों की विराट बहुसंख्या इसकी परिधि के बाहर चली जाएगी।

अत: सी आइ टी यू वर्किंग कमेटी का यह सत्र मांग करता है कि:

1. बोनस भुगतान अधिनियम में निर्धारित सभी सीमाएं समाप्त की जाएं।

2. न्यूनतम बोनस में श्रमिकों की वार्षिक आय के 10 प्रतिशत अंश तक की वृद्धि की जाए।

3. बोनस भुगतान को सीधे सकल लाभ के साथ जोड़ कर बोनस फार्मूले में संशोधन किया जाए और नियोक्ता के (मालिक) पिछले परिव्यय की अवधारणा को समाप्त किया जाए।

4. बोनस भुगतान अधिनियम में ही दी गई छूटें वापस ली जाएं।

5. श्रमिक संघों को नियोक्ताओं की बैलेंस शीट को चुनौती देने का अधिकार दिया जाए।

6. बोनस अधिनियम में स्वीकृत संशोधन उपक्रम में कार्यरत सभी श्रमिकों पर लागू हों, भले ही वे उसके सदस्य हों या न हों।

सी आइ टी यू अपने से सम्बद्ध सभी यूनियनों के कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता है कि वे इन मांगों के लिये देशव्यापी आंदोलन चलाएं ताकि भारत सरकार को और देरी किये बिना उन्हें स्वीकार करने पर विवश किया जा सके।

बीजिंग में विश्व महिला सम्मेलन

वर्किंग कमेटी बीजिंग में आयोजित विश्व महिला सम्मेलन की सीमित सफलता पर संतोष व्यक्त करती है। यह सम्मेलन सितम्बर मास में आयोजित हुआ था। इसके साथ ही वर्किंग कमेटी विश्व भर के जनवादी एवं प्रगतिशील महिला संगठनों द्वारा सम्मेलन की सफलता के लिये किये गए कार्यों की भी भूरि-भूरि प्रशंसा करता है। इन कार्यों का महत्व उस समय और भी बढ़ गया जब अमरीका तथा अन्य साम्राज्यवादी देशों द्वारा इस सम्मेलन को ही हस्तगत करने का प्रयास किया गया था। वे पहले भी ऐसे सम्मेलनों को हस्तगत करते रहे हैं किन्तु इस बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी। वह इस तथ्य पर भी अपना संतोष व्यक्त करती है कि जी-7 देश विश्व का ध्यान अवास्तविक मुद्दों की ओर आकृष्ट करने के अपने हथकण्डों में सफल नहीं हो सके। उन्होंने सोचा था कि वे प्रधान सम्मेलन तथा बीजिंग के निकट हाराओ में आयोजित गैर सरकारी संगठनों के सम्मेलन को तारपीडो कर देंगे। सम्मेलन की विफलता के सम्बन्ध में विचार माध्यमों द्वारा हर प्रकार का कुत्सित प्रचार किया गया किन्तु दोनों सम्मेलनों में उनकी कुचेष्टाओं की पोल खुल गई और भारी कठिनाईयां होने पर भी सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न हो ही गया।

वर्किंग कमेटी इस बात पर भी अपनी प्रसन्नता व्यक्त करती है कि चीनी सरकार द्वारा महिला सम्मेलन के प्रबंधों और 40,000 से अधिक गैर सरकारी प्रतिनिधियों के रहने-खाने इत्यादि की व्यवस्था के लिये श्रमसाध्य प्रयास किये गए। गैर सरकारी संगठनों के सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी प्रतिनिधि वहां सद्भावपूर्ण वातावरण को देख कर तथा सम्मेलन को सफल बनाने हेतु चीन की महिलाओं द्वारा दिये गए योगदान एवं सहयोग के कारण प्रसन्नचित हुए बिना नहीं रह सके।

जब हिलेरी क्लिंटन मंच पर आईं तो उनके विरुद्ध भारी प्रदर्शन किया गया। यह तथ्य रेखांकित किया जाना चाहिए। गैर सरकारी संगठनों के मंच, प्रगतिशील महिला संगठनों जिनमें जनवरी महिला समिति भी सम्मिलित थी ने महिलाओं से सम्बन्धित अनेक मुद्दों पर सम्मेलन में सफल हस्तक्षेप किया। उनके द्वारा प्रधान सम्मेलन जो महिला हितों के साथ न्याय नहीं कर सका, की आलोचना की। तथापि वे महिलाओं के अवैतनिक कार्यों को मान्यता देने, महिलाओं पर संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों के दुष्प्रभावों और वर्तमान आर्थिक स्थितियों की बाध्यताओं जैसे प्रश्नों पर अपने अनेक संशोधन प्रस्तुत किये। विस्मय है कि अपराध, बच्चों के साथ बलात्कार तथा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार जैसे मामलों पर भारत में महिलाओं की अत्यंत शोचनीय स्थिति होने पर भी हमारे मानव संसाधन मंत्री ने भारत सरकार की ओर से सम्मेलन में आत्म प्रशंसनात्मक भाषण दिया।

वर्किंग कमेटी सभी सी आइ टी यू यूनियनों को आह्वान करती है कि वे समुचित कदम उठाएं ताकि बीजिंग सम्मेलन के घोषणापत्र को कार्यरूप दिया जाना सुनिश्चित हो सके और महिला अधिकारों जिनमें कामकाजी महिलाओं के अधिकार भी शामिल हैं, के लिए संघर्ष को संयुक्त आंदोलन के माध्यम से और आगे बढ़ाया जा सके।

क्यूबा के साथ एकजुटता व्यक्त करने सम्बन्धी प्रस्ताव

वर्किंग कमेटी पिछले तीन दशकों से भी अधिक समय से क्यूबा के विरुद्ध अमानवीय आर्थिक नाकाबंदी को जारी रखे जाने के लिए अमरीका सरकार की तीव्र भर्त्सना करती है। उसने नाकाबंदी समाप्त करने सम्बन्धी विश्व समुदाय की मांग तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित तीन प्रस्तावों की भी अवहेलना की है।

शोचनीय है कि विश्वव्यापी मांग को स्वीकार करने की अपेक्षा अमरीका ने अत्यंत प्रतिगामी हेलम्स बर्टन विधेयक को पारित कर दिया है जो नाकाबंदी को और कड़ी करता है और न केवल क्यूबा की सम्प्रभुता अपितु उन सभी देशों जो क्यूबा के साथ व्यापारिक सम्बन्धों को जारी रखना चाहते हैं के अधिकारों पर धावा बोलता है। यह विधेयक क्यूबा का भयादोहन करने की एक ओर कार्रवाई है ताकि वह विवश होकर समाज का विकास करने हेतु अपने स्वतंत्र मार्ग का परित्याग कर दे।

बैठक मांग करती है कि अमरीका विश्व जनमत का सम्मान करे, क्यूबा के विरुद्ध जारी आर्थिक नाकाबंदी को समाप्त करे तथा हेलम्स-बर्टन विधेयक को तत्काल प्रभाव से वापस ले।

सी आइ टी यू अमरीकी हथकण्डों के विरुद्ध अपने देश की स्वतंत्रता एवं सम्प्रभुता की रक्षा के लिये दृढ़ संघर्ष करने पर क्यूबा की बहादुर जनता को गर्मजोशी से परिपूर्ण हार्दिक बधाई देती है और उनके संघर्ष का अपनी पूरी शक्ति के साथ समर्थन करती है।

सी आइ टी यू सभी राज्य समितियों तथा अपने साथ सम्बद्ध यूनियनों को क्यूबाई एकजुटता कोष के लिये उदारतापूर्वक अंशदान देने तथा क्यूबा की वीर जनता को हर प्रकार की भौतिक सहायता देने के लिये हार्दिक बधाई देती है।

वर्किंग कमेटी कलकत्ता में 22-24 सितम्बर 1995 को आयोजित एशिया-प्रशांत क्षेत्र के क्यूबा एकजुटता सम्मेलन के निर्णयों का सर्वसम्मति से समर्थन करती है। वह अपनी यूनियनों को आह्वान करती है कि वे क्यूबाई संघर्ष के लिये भौतिक-सामग्री की सहायता को जारी रखें और क्यूबा के विरुद्ध अमरीका की आर्थिक नाकाबंदी को समाप्त करने की मांग के पक्ष में देशव्यापी आंदोलन चलाएं। सम्मेलन में लिये गए निर्णय के अनुरूप बैठक ने भी राज्य समितियों तथा यूनियनों अनुरोध किया है कि वे अमरीकी की आर्थिक नाकाबंदी के विरोध में 27 नवंबर 1995 को क्यूबा के साथ एकजुटता दिवस मनाएं (इन पंक्तियों के प्रकाशित होने के समय प्राप्त समाचारों के अनुसार देश भर में सी आइ टी यू यूनियनों द्वारा उत्साहपूर्वक क्यूबा एकजुटता दिवस मनाया गया और स्थान-स्थान पर जनसभाओं एवं प्रदर्शनों का आयोजन करके क्यूबा के प्रति एकजुटता व्यक्त करने के साथ-साथ आर्थिक नाकाबंदी को जारी

रखने के लिये अमरीका की तीव्र भर्त्सना की गई)।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतनों में संशोधन तथा पांचवां केन्द्रीय वेतन आयोग

वर्किंग कमेटी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतनों में संशोधन करने से सम्बन्धित वर्तमान प्रणाली पर अपना भारी असंतोष व्यक्त करती है। इन आयोग का गठन असाधारण रूप से लम्बे अन्तरालों के पश्चात् किया जाता है। जहां पिछले दशकों में अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में निर्बाध वृद्धि हो रही है और संगठित क्षेत्र से सम्बन्धित कर्मचारियों तथा श्रमिकों के लिये प्रत्येक चार या पांच वर्षों के पश्चात् वेतन संशोधन की व्यवस्था है वहीं केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को वेतन पैनल के गठन के लिये ही दस से तेहर वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। एक ऐसा पैनल जो उनके वेतनों तथा उसके साथ-साथ वर्तमान मूल्य स्थिति की समीक्षा करके उनमें परिवर्तन करने के लिए अपनी संस्तुतियां दे। अत: यह व्यवस्था केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतनों को रोके रखने का ही काम करती है। वर्किंग कमेटी जोरदार मांग करती है कि इस व्यवस्था को समाप्त किया जाए और इसके स्थान पर न्यायोचित अन्तरालों में सामूहिक सौदेबाजी के माध्यम से वेतन निपटारे की व्यवस्था बनाई जाए जैसा कि संगठित क्षेत्र में चलने वाले अन्य उपक्रमों के मामले में होता है।

वर्किंग कमेटी पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग के कार्यों पर भी गम्भीर चिंता व्यक्त करती है। यह आयोग वर्तमान में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की वर्तमान वेतन संरचना की समीक्षा कर रहा है ताकि वर्तमान मूल्य स्थिति के अनुरूप नयी वेतन संरचना बनाई जा सके।

वर्किंग कमेटी भारी क्षोभ के साथ इस तथ्य की ओर ध्यान देती है कि सरकार ने स्टाफ (कर्मचारी) पक्ष के साथ बातचीत करने के पश्चात् आयोग गठित करने के काम में छह मास से अधिक समय लगा दिया है अपितु उसने आयोग पर वर्तमान वेतन संरचना एवं प्रासंगिक आर्थिक कारक की समीक्षा करने की सामान्य परीक्षा के साथ-साथ कागजी कार्य कम करके और सरकारी तंत्र के आकार को आशातीत बना कर कार्य क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से कार्य पद्धति एवं कामकाजी वातावरण का अनुशीलन करने, उसका सरलीकरण करने एवं तर्कसंगत बनाने जैसे अतिरिक्त कार्यों का बोझ भी लाद दिया है। यह एक ऐसा कार्य है जिसे कदापि वेतन आयोग की परिधि में लाया नहीं जा सकता है और इससे केवल वेतन आयोग के कार्यों में विलम्ब होगा और उनमें विघ्न पड़ेगा। बैठक इस बात पर भी चिंता व्यक्त करती है कि कर्मचारी यूनियनों तथा एसोसिएशनों द्वारा 18 मास के भीतर आयोग की संस्तुतियों को प्रकाशित करने तथा उन्हें कार्यरूप देने की मांग किये जाने पर भी इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वह मास की अवधि समाप्त हो जाने पर भी अपने काम में लगा है और मौखिक साक्षियों (गवाहियों) के रूप में कुछ तथ्य एकत्रित कर सका है। वर्किंग कमेटी जोरदार मांग करती है कि कार्य पद्धति जैसे कार्य आयोग से ले लिये जाए ताकि वह वेतन से सम्बन्धित कार्य पर ही स्वयं को केंद्रित करके अपनी रिपोर्ट सम्पूर्ण करने का श्रम साध्य कार्य कर सके।

वर्किंग कमेटी चिंता के साथ इस तथ्य की ओर ध्यान देती है कि आयोग ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में न केवल कर्मचारी पक्ष की 460 रुपये की अंतरिम राहत देने की मांग को स्वीकार करने के स्थान पर 10 प्रतिशत अल्प वेतन वृद्धि करने की संस्तुति देकर कर्मचारियों के साथ भारी अन्याय किया है अपितु उसने वेतन समानता के सिद्धान्त को भी पूर्णतया अस्वीकार कर दिया है जिसके आधार पर अंतरिम राहत तथा मूल वेतन की मांगें आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गईं थीं। वेतन समानता के सिद्धान्त को अस्वीकार कर देने की काली छाया ने आयोग के कार्यों तथा उसके अंतिम परिणामों पर भी अपना प्रभाव डाला है। इससे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों में भारी निराशा फैल गई है और इससे सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक सम्बन्धों पर गम्भीर दुष्प्रभाव पड़ेगा। सी आइ टी यू सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के समान वेतन देने की केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की मांग का पूर्ण समर्थन करता है। वह आयोग से मांग करता है कि वह अपनी संस्तुतियां देते समय इस सिद्धांत का पालन करे।

वर्किंग कमेटी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा उनके संगठनों को विश्वास दिलाती है कि सी आइ टी यू वेतन निपटारे सम्बन्धी न्यायोचित मांगों के लिये उनके द्वारा किये जा रहे घोर संघर्ष का पूर्ण समर्थन करता रहेगा।

पंजाब में शाहपुर कण्डी बैरेज वर्कस का निजीकरण रोका जाए

पंजाब सरकार शाहपुर कण्डी बैरेज वर्कस को दक्षिण कोरिया की एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी के हाथों में सौंप देने के लिये भरसक प्रयास कर रही है। सरकार इस परियोजना के सभी पक्षों को अंतिम रूप देने के लिये दक्षिण कोरिया की कम्पनी के साथ दो चक्रों में वार्ता कर चुकी है।

परियोजना की लागत लगभग 1050.00 करोड़ रुपये है। इसमें दो पण विद्युत केन्द्रों अर्थात् हाइडल पावर स्टेशन्स (एक 60 मैगावाट तथा दूसरा 68 मैगावाट का), 8 किलो मीटर लम्बी नहर तथा एक बैरेज सम्मिलित है। यदि पंजाब सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा इस परियोजना का कार्य विभागीय रूप से कराया जाता तो 10,000 अतिरिक्त श्रमिकों को तीन वर्षों से अधिक समय तक काम उपलब्ध हो सकता था।

सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों तथा इस क्षेत्र में सक्रिय यूनियनों द्वारा सर्वसम्मति से राज्य सरकार के इस निर्णय का विरोध करने का निर्णय लिया गया है और वे पिछले दो वर्षों से संघर्ष के पथ पर चल रहे हैं।

मजदूर, किसान तथा परिश्रमी जनता के अन्य वर्ग निजीकरण सम्बन्धी इस निर्णय के विरुद्ध संघर्ष करने के लिये दृढ़ प्रतिज्ञ हैं और वे राज्य सरकार को यह काम विभागीय स्तर पर कराने पर विवश करने के लिये अंतिम समय तक संघर्ष करेंगे।

वर्किंग कमेटी पंजाब की जनता तथा श्रमिक संघों को राष्ट्र हित में बहुराष्ट्रीय कम्पनी के विरुद्ध संघर्ष करने के लिये बधाई देती है। वर्किंग कमेटी ऐसी राष्ट्र विरोधी कार्रवाई करने के लिये पंजाब सरकार की आलोचना करती है। राज्य में सक्षम एवं निपुण इंजीनियरों, तकनीकी विशेषज्ञों तथा कुशल श्रमिकों के उपलब्ध होने पर भी यह परियोजना एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी को सौंप देना एक आत्मघाती कदम है।

जूट उद्योग में अनिश्चितकालीन हड़ताल के सम्बन्ध में

वर्किंग कमेटी जूट उद्योग में अनिश्चितकालीन हड़ताल करने सम्बन्धी निर्णय का समर्थन करती है। इसका आह्वान जूट उद्योग में सक्रिय सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा किया गया था। यह हड़ताल 29 नवंबर से शुरू होगी (इन पंक्तियों के प्रकाशित होने तक वह शुरू हो चुकी थी)। इसमें दो लाख से अधिक श्रमिक भाग लेंगे।

मार्च 1995 में त्रिपक्षीय समझौते की तीन वर्षीय अवधि समाप्त होने पर केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा नया मांग पत्र प्रस्तुत किया गया और उस पर समझौता वार्ता करने की मांग की गई।

पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री ने 21-8-95 को त्रिपक्षीय बैठक बुलाई थी किन्तु उसमें नियोक्ताओं (मालिकों) ने उद्योगवार त्रिपक्षीय समझौता करने से इन्कार कर दिया था। नियोक्ताओं के इस रुख के चलते केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों को अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लेने पर बाध्य होना पड़ा।

जूट उद्योग पर इस समय भारत सरकार का नियंत्रण है। भारत सरकार को इस उद्योग से आबकारी शुल्क के रूप में भारी धन राशि तथा निर्यात से 400 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। किन्तु वह जूट उद्योग को बचाने के लिये कोई कदम उठाने को तत्पर नहीं होती और न ही वह इस उद्योग में कार्यरत श्रमिकों एवं जूट उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिये तैयार है।

वर्किंग कमेटी भारत सरकार से मांग करती है कि वह स्थिति को बिगड़ने से बचाने के लिये तुरंत हस्तक्षेप करे और जूट उद्योगपतियों पर श्रमिकों की न्यायोचित मांगों पर समझौता करने के लिए दबाव डाले।

कपड़ा श्रमिकों का 12 दिसम्बर को जेल भरो कार्यक्रम

वर्किंग कमेटी कपड़ा उद्योग में व्याप्त स्थिति पर गम्भीर चिंता व्यक्त करती है। निजी क्षेत्र की 132 मिलों में कामबंदी हो जाने के कारण लगभग दो लाख श्रमिक रोजगारविहीन हो गए हैं। पुनः खुलने वाली मिलों ने अपने कताई अनुभागों को बंद कर दिया है तथा उन्हें विद्युत कर्घा मिलों में स्थानांतरित कर दिया है। इसके चलते हजारों श्रमिकों की आजीविका पर दुष्प्रभाव पड़ा है। अनेक अन्य मिलें भी बीमार इकाईयों की सूची में सम्मिलित हो गई हैं और उनमें कामबंदी का खतरा उत्पन्न हो चुका है।

सार्वजनिक क्षेत्र में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों के सम्बन्ध में यद्यपि संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा दीर्घावधि तक किये गए संघर्ष के फलस्वरूप 79 मिलों के आधुनिकीकरण से सम्बन्धित 8-सूत्रीय सर्वसम्मत समझौते को केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी तथापि बी आइ एफ आर ने अभी तक इस पर अपनी मोहर नहीं लगाई और न ही वहां आधुनिकीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस देरी के कारण मिलों को और भी क्षति हो रही है। श्रमिकों को नियमित रूप से वेतन का भुगतान नहीं किया जाता।

हथकर्घा क्षेत्र में लच्छी धागे तथा दूसरे कच्चे माल की सब्सिडी मूल्यों पर आपूर्ति न होने और वेतन गरीबी की रेखा के नीचे होने के कारण बुनकरों की स्थिति शोचनीय बनी हुई है।

विद्युत कर्घा क्षेत्र में 80 प्रतिशत कपड़ा तैयार होने पर भी श्रमिकों का नृशंस शोषण किया जाता है। उन्हें प्रति दिन 10 से 12 घण्टों तक काम करना पड़ता है। उन्हें न समुचित वेतन दिये जाते हैं और न ही वहां श्रम कानूनों एवं सामाजिक सुरक्षा उपायों को कार्यरूप दिया जाता है।

सी आइ टी यू, इंटक, एटक, एच एम एस, बी एम एस, एन एल ओ, ए टी यू सी तथा टी यू सी सी पर आधारित संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा निरंतर संघर्ष करने तथा सरकार के उच्चाधिकारियों एवं प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधिमण्डलों द्वारा बार-बार भेंट किये जाने पर भी ऊपर वर्णित स्थिति में सुधार लाने या ट्रेड यूनियनों के साथ विचार विमर्श करके नयी कपड़ा नीति बनाने ताकि इस उद्योग के तीनों क्षेत्रों का संतुलित विकास हो सके, सरकार ने संयुक्त संघर्ष समिति की मांगों को स्वीकार करने के लिये कोई कदम नहीं उठाया।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में संयुक्त संघर्ष समिति ने 12 दिसम्बर 1995 को दिल्ली में जेल भरो कार्रवाई करने का निर्णय लिया है।

वर्किंग कमेटी अपनी सभी राज्य समितियों तथा कपड़ा उद्योग में सक्रिय यूनियनों से अनुरोध करती है कि वे तीन क्षेत्रों अर्थात् एन टी सी, हथकर्घा तथा विद्युत कर्घा मिलों के श्रमिकों को लामबंद करें ताकि वे अधिक से अधिक संख्या में जेल भरो कार्रवाई में भाग लें।

अमरीका-पाकिस्तान शस्त्र समझौता भारत-अमरीका सहयोग समझौते को तत्काल समाप्त करने की मांग

वर्किंग कमेटी पाकिस्तान को सैन्य शस्त्रों की आपूर्ति करने सम्बन्धी अमरीकी निर्णय के प्रति अपना कड़ा विरोध व्यक्त करती है। वह मांग करती है कि भारत-अमरीका सहयोग समझौते को तत्काल समाप्त किया जाए।

अमरीका ने प्रेसलर संशोधन को निरस्त करके पाकिस्तान को शस्त्रों की आपूर्ति शुरू कर दी है और उसने पाकिस्तान को 36.80 करोड़ डालर मूल्य के अत्याधुनिक शास्त्रास्तों की आपूर्ति करने का निर्णय लिया है। अतः स्वाभाविक ही है कि इससे पाकिस्तान के साथ हमारा रक्षा संतुलन

बिगड़ जाएगा और भारत को अपनी रक्षा के लिये अधिक राशि का व्यय करना पड़ेगा। अमरीका की इस कार्रवाई से हमारे देश में भारी असंतोष व्याप्त हो गया है और सर्वत्र भारत तथा अमरीका के मध्य समझौते को समाप्त करने की मांग उठने लगी है। सैनिक तथा रक्षा सहयोग से सम्बन्धी इस समझौते पर अमरीका के श्री विलियम पेरी तथा भारत के रक्षा राज्य मंत्री श्री मलिकार्जुन ने 12 जनवरी 1995 को हस्ताक्षर किये थे। जब प्रतिपक्ष ने संसद में इस समझौते की कड़ी आलोचना की थी तब सरकार ने यह कह कर दृढ़तापूर्वक उसका पक्ष लिया था कि यह समझौता तथाकथित "बदलते वातावरण" में भारत तथा अमरीका के मध्य विकसित हो रहे नये सम्बन्धों का ही एक भाग है।

अमरीका ने अनेक मुद्दों पर भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण रुख अपनाया है। जब कभी भी पाकिस्तान और भारत के मध्य कोई विवाद उत्पन्न हुआ उसने सदैव पाकिस्तान का ही पक्ष लिया है। जब भारत ने अपनी प्रौद्योगिकीय एवं सैन्य क्षमताओं में सुधार लाने का प्रयास किया था तो अमरीका ने उसका न केवल घोर विरोध किया अपितु उसे हर ढंग से तारपीडो करने का प्रयास भी किया। कश्मीर विवाद पर भी उन्होंने सदा पाकिस्तान का ही समर्थन किया है। वे हमारे देश को विखण्डित करने के लिये विभाजक शक्तियों को उकसाते रहे हैं। अमरीका की इस नवीनतम कार्रवाई के फलस्वरूप निश्चित रूप से कश्मीर समस्या और उलझेगी तथा पाकिस्तान का युद्धोन्माद और भड़केगा।

इन सभी कटु अनुभवों के चलते हमारे रीढ़ विहीन शासकों ने अमरीका को समुचित प्रत्युत्तर नहीं दिया है और वे पूर्वत: अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक के अपने प्रभुओं के आगे लोट रहे हैं। अत: वर्किंग कमेटी देश में सभी देश भक्त शक्तियों को आह्वान करती है कि वे अमरीका की इस कार्रवाई का प्रतिकार करें और भारत-अमरीका सहयोग समझौते को तुरंत समाप्त करने की मांग करें।

बैंक कर्मचारियों की हड़ताल

वर्किंग कमेटी बैंक कर्मचारियों को वेतन तथा पेन्शन सम्बन्धी अपनी न्यायोचित मांगों के लिये 31 अगस्त 1995 को एक दिवसीय अखिल भारतीय और 26-27 सितम्बर को दो दिवसीय हड़ताल करने पर बधाई देती है। वह उनके द्वारा प्रस्तावित 19 दिसम्बर 1995 से अनिश्चितकालीन हड़ताल के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए उनकी मांगों का पूर्ण समर्थन करती है।

वर्किंग कमेटी भारत सरकार की नीतियों तथा श्रमिकों एवं अधिकारियों के वेतनों को न्यायसंगत बनाने तथा उनमें संशोधन करने सम्बन्धी आर बी आइ ए के पक्षपातपूर्ण रुख की तीव्र भर्त्सना करती है। यह पक्षपात अधिकारियों एवं श्रमिकों के मध्य असमान स्थिति उत्पन्न करने हेतु किया जा रहा है जबकि वे संयुक्त रूप से निजीकरण के विरोध में संघर्ष कर रहे हैं।

वर्किंग कमेटी हड़ताल को गैर कानूनी घोषित करने, हड़ताली नेताओं के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाईयां करने तथा श्रमिकों की सेवाएं समाप्त करने जैसी भारत सरकार की श्रमिक विरोधी कार्रवाईयों की तीव्र भर्त्सना करती है। वह सरकार से मांग करती है कि वह प्रतिशोध की इन कार्रवाईयों पर तत्काल रोक लगाए तथा हड़ताली नेताओं एवं श्रमिकों के विरुद्ध दायर आपराधिक कार्रवाईयों सम्बन्धी मुकदमें वापस ले।

वर्किंग कमेटी मांग करती है कि भारत सरकार तथा आइ बी ए इस चरण पर भी बैंक कर्मचारियों की न्यायोचित एवं समुचित मांगों और अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतनों के मध्य आपेक्षिकता को स्वीकार कर ले।

भिलाई इस्पात संयंत्र में दुर्घटना

वर्किंग कमेटी 2 नवंबर को भिलाई इस्पात संयंत्र में हुई भीषण दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करती है। यह दुर्घटना उस दिन अपरान्ह 3-30 बजे मिक्सर शाप में गैस टैंक के विस्फोट से हुई थी। इसके फलस्वरूप एक युवा श्रमिक श्री घनश्याम आयु 27 वर्ष की मृत्यु हो गई जबकि 12 अन्य घायल हो गए। घायलों में से 6 की स्थिति गम्भीर बताई जाती है। मृत्यु तथा घायल सभी ठेका श्रमिक थे और वे बी ए पी की मिक्सर शाप में एच एस सी एल के ब-कंट्रैक्टर के अन्तर्गत काम करते थे।

वर्किंग कमेटी श्री घनश्याम की मृत्यु पर हार्दिक संवेदनाएं तथा घायल होने वाले श्रमिकों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हुए इस दुर्घटना के प्रति अपना गहरा क्षोभ व्यक्त करती है। वह इस्पात उद्योग तथा विभिन्न औद्योगिक इकाईयों में होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या में चौंका देने वाली सीमा तक वृद्धि और सुरक्षा के प्रति नियोक्ताओं/प्रबंधकों के उदासीनतापूर्ण रुख पर अपनी चिंता व्यक्त करती है। वह अत्यंत क्षोभ के साथ इस बात की ओर ध्यान देती है कि ऐसी अधिकांश दुर्घटनाओं का शिकार ठेके पर काम करने वाले श्रमिक होते हैं। इन श्रमिकों को अत्यंत खतरनाक स्थितियों में जोखिम वाले काम करने पड़ते हैं और नियोक्ताओं की ओर से उनके समुचित प्रशिक्षण के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जाती। नियोक्ता कम से कम लागत पर उत्पादन करने की धुन में सुरक्षा के इस महत्वपूर्ण पक्ष की ओर कोई ध्यान नहीं देते।

वर्किंग कमेटी इस रुख की तीव्र भर्त्सना करती है। वह मृतक श्रमिक के परिवार तथा घायल श्रमिकों को पूर्ण क्षतिपूर्ति देने की मांग करती है। इसके साथ ही वह मांग करती है कि दुर्घटना के मूल कारणों तथा सुरक्षा प्रबंधों में व्याप्त कमियों की पूर्ण जांच कराई जाए और असुरक्षित कार्य प्रणाली के लिये उत्तरदायी अधिकारियों का पता लगाया जाए। वह बी एस पी प्रबंधन से यह सुनिश्चित करने की मांग करती है कि ठेका श्रमिक जो प्राय: अत्यंत खतरनाक स्थितियों में जोखिम वाले काम करते है, को पर्याप्त क्षतिपूर्ति तथा संरक्षण से वंचित नहीं रहें।

पेंशन योजना पर प्रस्ताव

वर्किंग कमेटी श्रमिकों के लिये एक पेंशन योजना शुरू करने के

तर्क पर भविष्य निधि में सेवा योजकों के 8.33 प्रतिशत अंशदान को उधर मोड़ देना सम्भव बनाने वाले अध्यादेश को एकपक्षीय रूप से जारी किये जाने पर अपना कड़ा विरोध व्यक्त करती है। यह अध्यादेश ट्रेड यूनियन आंदोलन द्वारा कड़ा विरोध व्यक्त करने पर भी लाया गया है। ट्रेड यूनियन आंदोलन ने सेवानिवृत्ति के तृतीय लाभ के रूप में पेंशन की मांग करने के साथ-साथ पेंशन योजना पर विस्तृत विचार निमर्श करने तथा उसे अंतिम रूप देने से पूर्व उसके लिये कोष की उपलब्धता तथा उसका संचालन कैसे होगा इत्यादि बातों को सुनिश्चित बनाने का अनुरोध किया था।

वर्किंग कमेटी इस तथ्य की ओर भी ध्यान देती है कि केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने अध्यादेश जारी कराने के साथ-साथ पेंशन योजना का प्रारूप भी जारी कर दिया है। उसमें यद्यपि पिछली योजना की अपेक्षा कुछ परिवर्तन किये गए हैं तथापि यह श्रमिकों तथा ट्रेड यूनियन आंदोलन की अपेक्षाओं पर पूरा नहीं उतरता है। इस प्रारूप में इतनी प्रतिबंधात्मक धाराएं और शर्तें हैं जिनके चलते भविष्य निधि में सेवा योजकों के भाग को दूसरी ओर मोड़ कर उन्हें उससे मिलने वाले लाभों से वंचित कर दिया गया है और उनकी अपेक्षा उन्हें अत्यंत अल्प लाभ मिल सकेगा। इस प्रकार भविष्य निधि की भागीदारी को ही समाप्त कर दिया गया है और इससे होने वाली क्षति की पूर्ति करने के लिये भी कोई व्यवस्था नहीं की गई।

उल्लेखनीय है कि योजना का प्रारूप संलग्नक के रूप में अध्यादेश का भाग नहीं है। यह अध्यादेश तो केवल पेंशन योजना को सूत्रबद्ध करने का उल्लेख करता है। ऐसा करके और इसके माध्यम से वह सरकार को श्रमिकों के भविष्य निधि कोष के लगभग आधे स्रोत को समाप्त कर देने का अधिकार प्रदान करता है।

वर्किंग कमेटी गहरी चिंता के साथ इस तथ्य की ओर ध्यान देती है कि संसद की उपेक्षा करके और श्रमिक संघों के उचित सुझावों को रद्दी की टोकरी में फैंक कर भारत सरकार ने इस अध्यादेश को जारी करने में शीघ्रता से काम लिया है। इसे राजनीतिक स्वार्थपरता के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता। इसमें मजदूर परस्त होने का छद्म तो है किन्तु वास्तव में श्रमिकों के हितों का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। केन्द्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा पेंशन योजना के जारी किये गए प्रारूप की परख यदि ठीक परिप्रेक्ष्य में की जाए तो उसका केवल मात्र एक अर्थ यही होगा कि इस अध्यादेश के माध्यम से जो छीना गया है, उसकी तुलना में उन्हें बहुत कम दिया गया है।

सी आइ टी यू सदैव अंशदायी भविष्य निधि तथा ग्रैच्युटी लाभों के वर्तमान प्रावधानों के अतिरिक्त सेवा निवृत्ति के तृतीय लाभ के रूप में पेंशन देने की मांग करती रही है। इसके विपरीत श्रम मंत्रालय ने जो प्रारूप जारी किया है उसमें अनेक सीमाएं, हैं। इनका अर्थ है साधारण श्रमिकों की क्षति। जिस ढंग से 'पेंशन योग्य सेवा', 'पेंशन योग्य वेतन' तथा 'योग्यता' की परिभाषित किया गया है उसके चलते श्रमिकों का एक बड़ा वर्ग और विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक इस योजना के कारण मिलने वाले लाभों से वंचित हो जाएंगे। वे इस लिये भी उन लाभों से वंचित हो जाएंगे कि उनके भविष्य निधि कोष में सेवा योजकों का 8.33 प्रतिशत का जो अंशदान होता है वह भी उस योजना की भेट चढ़ जाएगा।

प्रस्तावित पेंशन योजना के अन्तर्गत अंशदायी भविष्यनिधि योजना को बदल कर सामान्य भविष्य निधि योजना कर दिया जाएगा। उसमें श्रमिकों का अंशदान केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की भांति होगा। इस प्रकार जो पेंशन निर्धारित की जाएगी वह केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की पेंशन की अपेक्षा अत्यंत अल्प होगी। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित योजना में जो पेंशन फार्मूला दिया गया है उसका उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। इस प्रकार निरंतर गम्भीर होते चली जाने वाली मुद्रास्फीति की स्थिति में इसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा।

सर्वाधिक चिंता का विषय तो यह है कि प्रस्तावित पेंशन योजना का संचालन सम्भवतः भविष्य निधि संगठन द्वारा ही किया जाएगा। यह संगठन पहले ही पारिवारिक पेंशन कोष योजना को चलाने में अपनी प्रशासनिक अक्षमता को सिद्ध कर चुका है। इसके चलते पारिवारिक पेंशन कोष में 6500 करोड़ रुपये इकट्ठे हो चुके हैं और जिसका एक भारी भरकम भाग उन हजारों लोगों में वितरित ही नहीं किया गया जो अवकाश प्राप्त कर चुके हैं या जिनका निधन हो चुका है।

इसके दृष्टिगत सी आइ टी यू की वर्किंग कमेटी अध्यादेश जारी करने सम्बन्धी भारत सरकार की एकपक्षीय कार्रवाई के प्रति अपने दृढ़ विरोध की घोषणा करती है और इसके साथ ही प्रस्तावित पेंशन योजना का भी दृढ़ विरोध करने की घोषणा करती है।

वर्किंग कमेटी मांग करती है कि अध्यादेश में सुधार किये जाएं और पेंशन योजना को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ विचार विमर्श करके इसे सूत्रबद्ध किया जाए। बातचीत में सभी यूनियनों का सम्मिलित सुनिश्चित बनाया जाए:

1. पेंशन योजना सभी श्रमिकों के लिये ऐच्छिक होनी चाहिये। इनमें उन श्रमिकों को भी सम्मिलित किया जाए जो पहले पारिवारिक पेंशन योजना के अन्तर्गत आ चुके हैं।

2. पेंशन योजना में पूंजी का सम्पूर्ण देय (रिटर्न) सुनिश्चित किया जाए।

3. भारत सरकार तथा नियोक्ताओं (अर्थात् सेवा योजकों) को पेंशन योजना में बढ़ा हुआ और अतिरिक्त अंशदान देना चाहिये और इसमें कोई सीमा नहीं होनी चाहिए।

4. पेंशन योग्य वेतन 36 मास के आनुपातिक वेतन को मानने की अपेक्षा अंतिम बार लिये गए वेतन को माना जाए।

5. पेंशन योजना योग्य सेवा यह सुनिश्चित करे कि समय से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले श्रमिक की पेंशन राशि में कोई कमी न हो।

6. महंगाई में वृद्धि होने के साथ-साथ पेंशन राशि में भी वृद्धि की जाए।

7. पेंशन योजना का प्रशासन एक अलग अभिकरण (एजेंसी) को सौंपा जाए। इसका गठन श्रमिकों के प्रतिनिधियों तथा अन्य पक्षों की समान भागीदारी के माध्यम से किया जाए। केन्द्रीय सरकार पेंशन योजना का प्रशासनिक खर्चा स्वयं वहन करे।

8. पेंशन संग्रह पर ब्याज की दर बढ़ाई जाए।

सी आइ टी यू भारत सरकार से सेवानिवृत्ति के तृतीय लाभ के रूप में पेंशन देने की अपनी मांग को दोहराते हुए अनुरोध करती है कि वह अपने एकपक्षीय निर्णय तथा सम्बन्धित अध्यादेश में संशोधन करने की अपनी कार्रवाई से बाज आए। एकपक्षीय खेल खेलने के स्थान पर यथाशीघ्र सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ विचार विमर्श करके पेंशन योजना को अंतिम रूप दे। वर्किंग कमेटी सभी ट्रेड यूनियनों से मांग करती है कि वे एकजुट हों और पेंशन योजना के सभी पक्षों में पर्याप्त सुधार लाए जाने को सुनिश्चित करें जिसमें श्रमिकों के अंशदान को सार्थक बनाने के साथ-साथ उनके लिये उसे लाभकारी बनाया जाए।

सी आइ टी यू द्वारा पेंशन योजना के सरकारी प्रारूप तथा अध्यादेश का पुनः विरोध

केंद्रीय श्रम मंत्री श्री वेंकट स्वामी के साथ 10 नवंबर को हुई अपनी बैठक में सी आइ टी यू के प्रतिनिधियों ने एक बार पुन: पेंशन योजना सम्बन्धी सरकारी अध्यादेश तथा पेंशन सम्बन्धी सरकारी प्रारूप का जोरदार विरोध किया।

इस अध्यादेश के अन्तर्गत सरकार को भविष्य निधि में नियोक्ता के अंश को तथाकथित पेंशन योजना में मोड़ देने का अधिकार मिल जाता है। उन्होंने सेवानिवृति के तृतीय लाभ के रूप में पेंशन देने की अपनी मांग को भी पुन: दोहराया। उन्होंने सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया कि पेंशन योजना सम्बन्धी सरकारी प्रारूप के अनुसार श्रमिकों को बड़त कम पेंशन मिलेगी क्योंकि भविष्य निधि श्रमिकों को आधे भाग को तथाकथित नयी पेंशन योजना के अन्तर्गत ले आया जाएगा।

सी आइ टी यू ने पेंशन योजना पर सरकारी प्रारूप की अनेक कमियों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया और सम्पूर्ण पेंशन योजना को नये सिरे से तैयार करने या उसमें सुधार लाने के लिये कुछ ठोस सुझाव दिये जो इस प्रकार हैं: (1) सरकार और नियोक्ताओं को पेंशन योजना में और अधिक बढ़ा हुआ तथा अतिरिक्त अंशदान देना चाहिये, (2) पूंजी की पूर्ण वापसी का प्रावधान रखा जाए, (3) पेंशन राशि को मूल्य सूचक अंक के साथ जोड़ा जाए, (4) पेंशन योग्य वेतन तथा पेंशन योग्य सेवा को पुन: परिभाषित किया जाए ताकि पेंशन राशि में वृद्धि होने के साथ इसकी परिधि और विशाल हो सके (5) कामबंदी तथा औद्योगिक बीमारी के चलते वेतन न मिलने की स्थिति को झेल रहे श्रमिकों के लिये विशेष प्रावधान रखे जाएं। (6) पेंशन राशि पर ब्याज की दर बढ़ाई जाए ताकि उसकी उच्चतर वापसी सुनिश्चित हो सके। (7) परिकलन सुविधा (8) एक पृथक अभिकरण के माध्यम से योजना का संचालन। इस संगठन में श्रमिकों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। (9) इस योजना का पूरा खर्च सरकार तथा अन्यों द्वारा वहन किया जाए।

सी आइ टी यू ने श्रम मंत्री से मांग की है कि वह श्रमिकों पर उपरोक्त योजना को न लादे तथा इसे सभी श्रमिकों के लिये ऐच्छिक बनाए। बैठक में सी आइ टी यू के अतिरिक्त इंटक, एच एम एस, एटक, बी एम एस, यू टी यू सी, टी यू सी सी, यू टी यू सी (एल एस) एन एल ओ, एन एफ आइ टी यू इत्यादि के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हुए। बैठक में सी आइ टी यू की ओर से उसके महासचिव कामरेड एम के पंधे तथा सचिव कामरेड तपन सेन ने भाग लिया। □

संयुक्त संघर्ष समिति ने जेल भरो कार्रवाई करने का निर्णय पुनः दोहराया

कपड़ा उद्योग में त्रिपक्षीय औद्योगिक समिति की 8 नवंबर को आयोजित बैठक के तुरंत पश्चात् इंटक, सी आइ टी यू, एटक, एच एम एस, बी एम एस, एन एल ओ, यू टी यू सी तथा टी यू सी सी पर आधारित संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक हुई। बैठक में 12 दिसम्बर, 1995 को दिल्ली में जेल भरो कार्रवाई करने के निर्णय को पुन: दोहराया गया।

त्रिपक्षीय बैठक में सरकार ने एन टी सी मिलों की समस्या को कार्यसूची में सम्मिलित नहीं किया गया था। और यहां तक नये कपड़ा मंत्री ने भी बैठक में भाग नहीं लिया था। राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों के आधुनिकीकरण पर 8-सूत्रीय सर्वसम्मत समझौता हुए यद्यपि छह मास से अधिक समय हो चुका है तथापि उसे अभी तक कार्यरूप नहीं दिया गया और वह पूर्वत: ठण्डे बस्ते में ही पड़ा हुआ है। इसके दुष्परिणामस्वरूप एन टी सी मिलों को भारी क्षति झेलनी पड़ रही है। श्रमिकों को वेतन का भुगतान अत्यंत अनियमित रूप से होता है।

निजी क्षेत्र की बीमारी के सम्बन्ध में भी सरकार द्वारा पृथक रूप से कोई आलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिस पर पृथक रूप से कोई आलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिस पर समुचित विचार विमर्श किया जा सकता है।

उपरोक्त परिस्थितियों में संयुक्त संघर्ष समिति दिल्ली में 12 दिसम्बर को जेल भरो कार्रवाई करने के अपने निश्चय को दोहराती है। मिल, हथकरघा, विद्युत करघा अर्थात् तीनों क्षेत्रों के श्रमिक 12 दिसम्बर को देश भर से दिल्ली आएंगे और उस दिन सुबह 11 बजे जन्तर मन्तर मैदान में अपनी मांगों के पक्ष में विशाल जनसभा करेंगे। तत्पश्चात् स्वयं को गिरफ्तारी के लिये प्रस्तुत करेंगे। इस सम्बन्धी वक्तव्य सी आइ टी यू कामरेड पी के गांगुली, इंटक, के पी एल सुबिया, एटक के कामरेड बी डी जोशी तथा डी एल सचदेव, एच एम एस के बी त्यागी, बी एम एस के वी सत्ताम, यू टी यू सी के सुनील सेन गुप्त तथा टी यू सी सी के डी डी शास्त्री ने हस्ताक्षर किये हैं।

□